RNI NO.- MPBIL/2020/79198

उद्घोष समय

वर्ष 05 अंक 75 | सतना, गुरुवार 04 सितंबर,2025 | पृष्ठ: 4, मूल्य: 1 रूपए

युवा नौकरी पाने वाले नहीं, रोजगार प्रदान करने वाले बनें : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय में आईटी रिसोर्स सेंटर, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट और कन्या छात्रावास का किया भूमिपूजन

भोपाल एजेंसी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षा के बदलते दौर में सभी विश्वविद्यालयों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भारत के बेहतर भविष्य की संभावनाओं के लिए दुनिया में मिसाल कायम कर रहे हैं। वे दिन गए जब भारत किसी बड़े देश के पीछे चलकर पहचान बनाता था। हमें गर्व है कि आज भारत किसी पर निर्भर नहीं है। भारत के बदलते समय का विश्वविद्यालय के छात्र पूरा उपयोग करें। हमारे युवा बेहतर तकनीक का उपयोग करते हुए देश को आगे ले जाने का सपना देखें और उसे पूरा करने के लिए परिश्रम करें। राज्य सरकार विश्वविद्यालयों के छात्रों के साथ है। हमारे युवा नौकरी पाने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनें। सरकार हर संभव सहायता और प्रशिक्षण उपलब्ध करा रही है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कृषि संकाय की पढ़ाई शुरू की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय में सभी नए रोजगारपरक पाठ्यक्रम आरंभ करने और विद्यार्थियों को आवागमन के लिए निःशुल्क बस सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय परिसर में 55 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले आईटी रिसोर्स सेंटर, स्टूडियो, कन्वेंशन हॉल और इंक्यूबेशन सेंटर तथा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट व कन्या छात्रावास का भूमिपूजन कर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पीएम उषा परियोजना के भूमिपूजन और दीक्षारंभ कार्यक्रम में गणपति बप्पा मोरया के जयघोष एवं सरस्वती माता को नमन करते हुए अपना संबोधन आरंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल के सभी क्षेत्रों को विकास कार्यों की सौगात मिल रही है। भोपाल में मेट्रो की शुरुआत होने वाली है। इसके साथ भोपाल के पास मेट्रो और अत्याधुनिक रेल कोच निर्माण के लिए बीईएमएल की इकाई का भूमि-पूजन हो चुका है। भारतीय रेल के हाईस्पीड कोच भी इस कारखाने में बनाए जाएंगे। भोपाल को पर्यटन के क्षेत्र में भी एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। अब बड़ी झील में कश्मीर की तर्ज पर शिकारे चलाए जाएंगे। भोपाल से इंदौर, जबलपुर और रीवा के लिए नए ग्रीन फील्ड हाइवे तैयार किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में पीएम मित्रा का निर्माण हो रहा है। हमारे किसानों द्वारा उत्पादित कपास की मांग दुनिया में है। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलें। प्रदेश में रेडीमेड गारमेंट के नए उद्योग शुरू हों, इसके लिए दिल्ली में निवेशकों और उद्योग घरानों को आज चर्चा के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। भविष्य में मध्यप्रदेश के युवा फैशन डिजाइनिंग और रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री में अग्रणी बनें, इसके लिए राज्य सरकार निश्चित कार्ययोजना बना रही है। उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश में बदलाव का बीड़ा उठाया है। पूर्व में उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने जिस विजन से कार्य किया, उसके सुखद परिणाम अब सामने आने लगे हैं। राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित हैं। प्रदेश में गरीब और पिछड़े छात्रों के लिए सर्व सुविधायुक्त सांदीपनि विद्यालय और पीएम एक्सीलेंस कॉलेज बनाए जा रहे हैं। भविष्य में शिक्षा क्षेत्र को नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने दो बड़े निर्णय किए हैं। इसके अंतर्गत अब डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना और प्रदेश के चिन्हित विश्वविद्यालयों में देश की विभिन्न भाषाओं को क्रेडिट के माध्यम से पाठ्यक्रम में शामिल कर पढ़ाया जाना शामिल है। प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में होने जा रही यह अभिनव पहल पूरे देश को संदेश देने का कार्य करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस दोनों नवाचारों के लिए हमें निरंतर प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया। हृदय प्रदेश, मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में नवाचार करते हुए देश के अन्य राज्यों के लिए आदर्श राज्य के रूप में उभर रहा है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने भोपाल में संचालित विकास गतिविधियों और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार माना। कुलगुरु प्रो. एसके जैन ने बताया कि बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिल रही है। इस अवसर पर वर्ष 2025-26 के नए विद्यार्थियों का दीक्षांत समारोह भी हो रहा है। कार्यक्रम में नगर निगम अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन, कुलगुरु प्रो. एस.के जैन सहित विश्वविद्यालय के प्राध्यापक एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थीं।

उल्लेखनीय है कि पीएम-उषा (प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान) का उद्देश्य उच्च शिक्षा की उत्कृष्टता में सुधार लाना है।

जीएसटी में नवरात्रि में होगा बड़ा बदलाव, 4 की जगह अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब

नई दिल्ली एजेंसी। त्योहारों का मौसम आने वाला है और सरकार आम आदमी को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। ख़बरों के मुताबिक, केंद्र सरकार नवरात्रि तक जीएसटी की नई दरें लागू कर सकती है, जिससे कई चीजें सस्ती हो सकती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज 3 सितम्बर को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें टैक्स सिस्टम को आसान बनाने पर चर्चा की गई। सरकार जीएसटी सिस्टम में यह बड़ा बदलाव इसलिए कर रही है, क्योंकि पिछले 8 सालों के आंकड़ों से एक बहुत दिलचस्प बात सामने आई है। अभी जीएसटी के चार स्लैब हैं - 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत। सरकार की कुल जीएसटी कमाई का लगभग 67 प्रतिशत हिस्सा अकेले 18 प्रतिशत वाले स्लैब से आता है। वहीं, 12 प्रतिशत वाले स्लैब से सबसे कम, सिर्फ 5 प्रतिशत की कमाई होती है। 5 प्रतिशत वाले स्लैब से 7 प्रतिशत और 28 प्रतिशत वाले स्लैब से 11 प्रतिशत की कमाई होती है। इन आंकड़ों को देखकर मंत्रियों के एक समूह ने सुझाव दिया है कि टैक्स सिस्टम को आसान बनाया जाए। सरकार का प्लान है कि 4 टैक्स स्लैब की जगह अब सिर्फ 2 स्लैब रखे जाएं। 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत स्लैब को खत्म करना- सरकार 12त्न वाले स्लैब को इसलिए हटाना चाहती है, क्योंकि इससे बहुत कम टैक्स आता है। वहीं, 28 प्रतिशत वाले स्लैब को हटाने का मकसद लग्जरी और महंगी चीजों के दाम कम करना है। माना जा रहा है कि 28 प्रतिशत टैक्स की वजह से लोग कार, फ्रिज, टीवी जैसी चीजें खरीदने से कतराते हैं।सिर्फ 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत स्लैब रहेंगे- अगर यह बदलाव होता है तो देश में जीएसटी के मुख्य रूप से सिर्फ दो स्लैब - 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत - रह जाएंगे। ज्यादातर चीजें इन्हीं दो स्लैब में आ जाएंगी।

देश में 2 करोड़ से अधिक फर्जी फोन कनेक्शन को दूरसंचार विभाग ने किया ब्लॉक, फर्जी कॉल में 97 प्रतिशत की कमी

नई दिल्ली एजेंसी। केंद्रीय दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे 2 करोड़ से अधिक मोबाइल कनेक्शन ब्लॉक कर दिए हैं और स्पूफ कॉल्स में 97 प्रतिशत की कमी लाने में सफलता हासिल की है। यह जानकारी दूरसंचार विभाग के सचिव डॉ। नीरज मित्तल ने बुधवार को 3 सितम्बर को दी। डॉ। मित्तल दक्षिण गोवा में दूरसंचार विभाग द्वारा आयोजित सुरक्षा संबंधी मामलों पर एनुअल वेस्ट जोन कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक के जरिए सभा को संबोधित किया और साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ दूरसंचार क्षेत्र की लड़ाई में प्रमुख उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने स्पूफ कॉल्स में कमी का श्रेय सरकार की संचार साथी पहल को दिया, जो दूरसंचार सेवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए शुरू किया गया एक प्लेटफार्म है। स्पूफ कॉल्स फर्जी कॉल्स होती हैं, जिनमें स्कैमर्स कॉलर आईडी की जानकारी में हेरफेर कर धोखाधड़ी या लोगों को धोखा देने के लिए अपनी पहचान छिपाते हैं। मित्तल ने कहा कि संचार साथी के साथ-साथ, विभाग ने धोखाधड़ी, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र में, से संबंधित जानकारी को क्राउडसोर्स करने के लिए एक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म विकसित किया है। यह प्लेटफॉर्म बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को चल रहे घोटालों से संबंधित डेटा साझा करने और उस तक पहुंचने में मदद करता है। दूरसंचार के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालते हुए, मित्तल ने कहा कि जहां दूरसंचार उपयोगकर्ताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, वहीं दूरसंचार संसाधनों का दुरुपयोग विशेष रूप से वित्तीय धोखाधड़ी में भी बढ़ा है। इससे निपटने के लिए, दूरसंचार विभाग ने साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए कई पहल शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ने धोखाधड़ी की पहचान करने और उसे समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत मामला: हाईकोर्ट के निर्देश, अब 17 लोगों के कॉल रिकॉर्डिंग की जांच होगी

नई दिल्ली एजेंसी। पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर के खेजुरी में जलसा देखने गए दो भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत के मामला गहराता जा रहा है। इस घटना में दो बार अलग-अलग पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कड़ा रुख अपनाया और कड़े सवाल खड़े किए। कोर्ट ने कहा, दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग-अलग आई हैं। अगर ऐसा ही हुआ तो लोगों का विश्वास पूरे सिस्टम से उठ जाएगा। न्यायमूर्ति देबांशु बसाक और न्यायमूर्ति सब्बर रसिदी की खंडपीठ ने मामले में कुल 17 लोगों के कॉल रिकॉर्ड की जांच करने का निर्देश दिया। अदालत ने साफ किया कि सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं, इसका फैसला मुख्य याचिका की सुनवाई के दौरान होगा। दरअसल, 12 जुलाई को जलसा देखने गए भाजपा कार्यकर्ता सुजीत दास और सुजीत पाइक की मौत हो गई थी। मिदनापुर मेडिकल कॉलेज की पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस ने दावा किया था कि दोनों की मौत बिजली का झटका लगने से हुई। इसके बाद मृतकों के परिवार ने इसे हत्या बताया और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद अदालत के आदेश पर एसएसकेएम अस्पताल में दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया, जहां शव पर चोट के निशान पाए गए। इसी आधार पर बुधवार को अदालत ने कड़े सवाल उठाए। न्यायमूर्ति बसाक ने टिप्पणी की, दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अत्याचार के निशान कैसे मिले।

राज्यपाल का कानून बनाने में कोई रोल नही : सुप्रीम कोर्ट

बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल की सुप्रीम कोर्ट में दलील; राज्यपालों-राष्ट्रपति के लिए डेडलाइन से जुड़ा मामला

प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर आज यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सातवें दिन की सुनवाई पूरी हुई। पश्चिम बंगाल के बाद कर्नाटक सरकार ने दलील देते हुए कहा कि 1954 से कानून में यह स्थायी स्थिति रही है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल नाममात्र के प्रमुख हैं। कर्नाटक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा यह रेफरेंस संविधान के सबसे स्वीकृत, स्थायी और सुसंगत सिद्धांतों में से एक है। उन्होंने कहा कि अगर मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र का सार है तो यह पता लगाना होगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका क्या है। यदि यह स्पष्ट नहीं है, तो धारा 200 के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि 1954 से क़ानून में यह स्थायी स्थिति रही है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल नाममात्र के प्रमुख हैं। मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी। बुधवार को पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और हिमाचल सरकार ने अपना पक्ष रखा। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ कर रही है। कुछ दिन पहले इस मसले पर तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अहम दलील दी थी। राज्य सरकार ने कहा था कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकते। सिंघवी ने कहा कि राज्यपाल केवल एक सूत्रधार हैं, हस्तक्षेपक नहीं। वो भ्रम या अराजकता नहीं फैला सकते। दरअसल, यह पूरा मामला राज्यपाल द्वारा विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी, संवैधानिक जिम्मेदारियों और राजनीतिक वैचारिक मतभेदों से संबंधित है। यह मामला तब चर्चा में आया जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कई बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर राज्यपाल आरएन रवि के व्यवहार और कार्यों की शिकायत की थी। स्टालिन ने आरोप लगाते हुए कहा था कि राज्यपाल संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं और सरकार के कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। अनुच्छेद 163(1) यह कहता है कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी चाहिए।

दवाओं का लाइसेंस अब मिलना होगा आसान, सरकार बदल रही है नियम

नई दिल्ली एजेंसी। सरकार दवाओं और रिसर्च से जुड़े नियमों को और आसान बनाने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स, 2019 में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका नोटिफिकेशन 28 अगस्त 2025 को गजट ऑफ इंडिया में जारी हुआ है और आम लोगों से सुझाव मांगे गए हैं।

ये मसौदा नियम 2019 के मौजूदा नियमों को और मजबूत बनाने के मकसद से जारी किया गया है। हालांकि, इस मसौदे को लोगों की प्रतिक्रिया के बाद फाइनल रूप दिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि इस पर आपत्तियां और सुझाव अगले 30 दिनों के अंदर भेजी जा सकती हैं। इस प्रस्ताव के तहत अब नई दवा के परीक्षण के लिए अनुमति बेहद जरूरी की गई है।

अब ज्यादातर दवाओं के लिए अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ सूचना देना काफी होगा। वहीं, हाई-रिस्क कैटेगरी की दवाओं पर ही लाइसेंस जरूरी रहेगा। टेस्ट लाइसेंस की प्रक्रिया का समय 90 दिन से घटाकर 45 दिन कर दिया जाएगा। कुछ कैटेगरी की बायोअवेलेबिलिटी/बायोइक्विवेलेंस स्टडी के लिए अब लाइसेंस नहीं लेना होगा। सिर्फ सूचना देने के बाद ही स्टडी शुरू की जा सकेगी। यह प्रस्ताव कई मायने में अहम माना जा रहा है। इससे लाइसेंस की फाइलें लगभग 50त्न तक कम होंगी। नई दवाओं पर रिसर्च और ट्रायल जल्दी शुरू होंगे। साथ ही दवा मंजूरी की प्रक्रिया तेज होगी। ष्टष्ठस्ष्टह्र (सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन) अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर पाएगा। सरकार का कहना है कि इन सुधारों से भारत दुनिया में दवाओं और क्लिनिकल रिसर्च का बड़ा केंद्र बनेगा और भारतीय फार्मा इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगी। इस प्रस्ताव पर दवा कंपनी, शोधकर्ता या आम नागरिक से सुझाव मांगे गए हैं। सुझाव देने के लिए उन्हें 30 दिन का समय दिया गया है। इन 30 दिनों में वो इस प्रस्ताव पर अपनी राय दे सकते हैं। इसकी खामियां और खूबियां, क्या और बदलाव किए जा सकते हैं यह बता सकते हैं। यह पहल दिखाती है कि सरकार इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों और आम लोगों की राय लेकर एक आसान और व्यवस्थित प्रक्रिया बनाना चाहती है।

जर्मन विदेश मंत्री भारत के विकास के मुरीद

कहा- नवोन्मेषी महाशक्ति-प्रौद्योगिकी का केंद्र बना

नई दिल्ली एजेंसी। जर्मन विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल अपनी बंगलूरू यात्रा के दौरान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत के विकास के मुरीद हुए। उन्होंने कहा कि जर्मनी और भारत को सहयोग बढ़ाकर बहुत कुछ हासिल करना है। जोहान वाडेफुल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा, %अगर हमें अपने सहयोग को और आगे बढ़ाना है, तो हमारी अर्थव्यवस्थाओं को बहुत कुछ हासिल करना होगा। मैं कल बंगलूरू में था, और मैंने खुद देखा कि भारत कितना नवोन्मेषी महाशक्ति और प्रौद्योगिकी केंद्र बन गया है।

जोहान वाडेफुल ने दुनिया में भारत के %विशेष और रणनीतिक% महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है और दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। इसके साथ ही सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, भारत का वैश्विक क्षेत्र में विशेष और रणनीतिक महत्व है। वाडेफुल और एस जयशंकर ने द्विपक्षीय बैठक के दौरान अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की। वाडेफुल ने चीन के बढ़ते आक्रामक व्यवहार पर चिंता व्यक्त की और रक्षा, सुरक्षा एवं आयुध के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा, %भारत और जर्मनी नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से एकजुट हैं, जिसमें हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री व्यापार मार्गों की स्वतंत्रता भी शामिल है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन का बढ़ता आक्रामक व्यवहार दोनों देशों के लिए चिंता का विषय है। सामान्य तौर पर, हमारा लक्ष्य रक्षा, सुरक्षा और आयुध के क्षेत्रों में अपने सहयोग को और बढ़ाना है। वाडेफुल ने कहा, हमने आज इस बारे में बात की। चाहे वह हमारी सेनाओं के साझा अभ्यास के जरिये हो या पिछले साल जर्मन फ्रिगेट द्वारा भारत के बंदरगाह पर किए गए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिए निर्यात लाइसेंस प्रक्रिया में तेजी लाने के जरिये। हमने इस तथ्य पर भी चर्चा की कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा यूरोप की सुरक्षा से गहराई से जुड़ी हुई है। रूस का आक्रामक युद्ध अभी भी हमारी सुरक्षा नीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जर्मन विदेश मंत्री वाडेफुल ने भारत द्वारा एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि यह नई तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल होने की भारत की महत्वाकांक्षा और दावे का प्रदर्शन है। द्विपक्षीय व्यापार पर बोलते हुए उन्होंने कहा, 31 अरब यूरो से भी कम के व्यापार के साथ भारत और जर्मनी पहले से ही प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं। जर्मनी भारत को अपना सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार मानता है।

पाकिस्तान-अफगानिस्तान-बांग्लादेश से 2024 तक आए अल्पसंख्यक भारत में रह सकेंग

पहले 2014 तक आए लोगों को परमिशन थी, सीएए के तहत केंद्र का फैसला

नई दिल्ली एजेंसी। गृह मंत्रालय ने 1 सितंबर को आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025 को लेकर जारी की गई अधिसूचना के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को लेकर नया विवाद और भ्रम खड़ा हो गया है। एक सितंबर को जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2024 तक भारत में दाखिल हो चुके गैर-मुस्लिम विदेशी नागरिकों को तत्काल देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा, लेकिन इसमें नागरिकता देने की बात नहीं कही गई है।

केंद्रीय मंत्री डॉ। सुकांतो मजूमदार ने इस आदेश के बाद सोशल मीडिया ङ्क पर पोस्ट कर लिखा, %भारत में 31 दिसंबर 2024 तक आए गैर-मुसलमानों को देश में सीएए के तहत नागरिकता मिल जाएगी।% मजूमदार ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद भी दिया।% हालांकि बाद में उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया और नए कानून का हवाला देते हुए कहा कि इससे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों भारत में रहने की इजाजत मिल जाएगी। हालांकि कानूनी स्थिति इससे अलग है। ष्ट 2019 और उसके तहत बने नियमों के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को तभी भारतीय नागरिकता मिल सकती है यदि वे 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ चुके हों। यानी ष्ट की कट-ऑफ डेट वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।

एमवाय में चूहे का शिकार हुए दूसरे नवजात की भी मौत, मानव अधिकार आयोग ने दिया नोटिस

नई दिल्ली एजेंसी। इंदौर में चूहों ने जिन दो नवजातों के अंग कुतरे थे। उनकी मौत हो चुकी है। इससे एमवाय में हड़कंप मचा हुआ है। एक बच्चे की मौत मंगलवार को हुई थी, जबकि दूसरे नवजात ने बुधवार को दम तोड़ा। एमवाय अस्पताल प्रशासन दोनों मौत की वजह कुछ और बता रहा है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार मौत की वजह चूहे का काटना मौत की वजह नहीं है। डाक्टरों का कहना है कि दोनों नवजातों की हालत गंभीर थी। जिस बच्चे की मौत मंगलवार को हुई थी। उसका वजन काफी कम था और उसकी सर्जरी की गई थी।

इस मामले में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने डीन को नोटिस दिया है। मामला सामने आने पर दो नर्सिंग कर्मचारियों को डीन ने निलंबित कर दिया था। इससे नर्सिंग स्टॉफ में नाराजगी है। उनका कहना है कि अस्पताल में ठीक से सफाई न होने से चूहे अस्पताल में घूमते हैं। चूहों की संख्या पर नियंत्रण करने के लिए पेस्ट कंट्रोल कंपनी का स्टॉफ भी तैनात रहता है। यदि वह ठीक से काम करें तो चूहे अस्पताल में नजर नहीं आएंगे। एमवाय अस्पताल के परिसर में चूहों के सैकड़ों बिल हैं। कई चूहे तो आधा एक किलो के हैं। वे अस्पताल के वार्डों में नहीं बल्कि आईसीयू, एनआईसीयू में भी नजर आते है। कई बार वायर भी काट देते हैं।

उधर एमवाय अस्पताल में नवजातों को चूहों के कुतरने के मामले में मानव अधिकार आयोग ने अस्पताल अधीक्षक को जांच के निर्देश दिए हैं। उन्हें जल्दी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। उधर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस घटना पर कहा है कि अस्पताल में चूहों के मानव अंगों को कुतरने का मामला नया नहीं है। कई बार घटनाएं छुपाई जाती हैं। भाजपा के 22 साल शासन का असली चेहरा इस तरह की घटनाएं हैं। 30 साल पहले सूरत में प्लेग फैलने का मामला सामने आया था तो इंदौर के एमवाय अस्पताल को भी चूहों से मुक्त करने का अभियान चलाया गया था। पेस्ट कंट्रोल कंपनियों ने हजारों की संख्या में चूहों का सफाया किया था, लेकिन अब फिर चूहों की बढ़ती संख्या परेशानी की वजह बन गई है।

पंजाब आपदा प्रभावित घोषित, 23 जिलों के 1400 गांवों में बाढ़, स्कूल-कॉलेज 7 सितंबर तक बंद

नई दिल्ली एजेंसी। देश में लगातार भारी बारिश की वजह से कई राज्यों की स्थिति काफी गंभीर है। पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बाढ़ की वजह से स्थिति नाजुक बनी हुई है। पंजाब के सभी 23 जिलों में 1400 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। राज्य की स्थिति को देखते हुए पंजाब सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया है।

पंजाब के मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि राज्य में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सहित सभी शैक्षणिक संस्थान 7 सितंबर तक बंद रहेंगे। उन्होंने लिखा, 'पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार, बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, पंजाब भर के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त और निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और पॉलिटेक्निक 7 सितंबर तक बंद रहेंगे।'

सभी किसानों को मिले विशेष राहत पैकेजः राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर बाढ़ प्रभावित लोगों को लेकर दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपील करते हुए कहा, 'मोदी जी, पंजाब में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भी स्थिति बेहद चिंताजनक है। ऐसे मुश्किल समय में आपका ध्यान और केंद्र सरकार की तरफ से की जाने वाली मदद बहुत जरूरी है। हजारों परिवार अपने घर, जीवन और अपनों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।' ऐसे मुश्किल समय में आपका ध्यान और केंद्र सरकार की सक्रिय मदद अत्यंत आवश्यक है। हज़ारों परिवार अपने घर, जीवन और अपनों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पंजाब में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से राज्य के अधिकतर जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इस भयानक बाढ़ की वजह से कई लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राज्य में बाढ़ की वजह से अब तक तीस लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। स्थानीय प्रशासन और सेना राहत कार्य में जुटी है। पंजाब सीएम भगवंत मान ने हाल ही में राज्य की स्थिति देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 6 हजार करोड़ रुपये की आपातकालीन सहायता की मांग की है। पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने एक दिन का वेतन दान करने का संकल्प लिया है।

सिंगरौली सहित 16 स्थानों पर ईओडब्लु-जीएसटी की छापेमारी

20 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का खुलासा

जबलपुर/ प्रतिनिधि। एमपी के सिंगरौली सहित 16 स्थानों पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (श्वह्लड्ड) व जीएसटी विभाग की टीम ने दबिश दी है। संयुक्त कार्रवाई में 20 करोड़ रुपए से अधिक की त्तस्ज्ञ की चोरी का खुलासा हुआ है।

श्वह्लड्ड के अधिकारियों के अनुसार खबर मिली थी कि कर सलाहकार अनिल कुमार शाह बैढन् जिला सिंगरौली द्वारा अनेक फर्मो से बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर स्थानीय फर्मो को उपलब्ध कराई गई। जिसके एवज में आर्थिक लाभ/कमीशन अनिल कुमार शाह के द्वारा प्राप्त किया गया। फर्मो द्वारा बिना माल अथवा सेवाओं के वास्तविक प्राप्ति के द्बड्ढञ्जष्ट (इनपुट टैक्स क्रेडिट) प्राप्त की जाकर लगभग 20 करोड़ की राजस्व क्षति शासन को पहुचायी गई है। जांच दल द्वारा जप्त किये गये दस्तावेजों एवं डिजिटल डाटा का परीक्षण किया जा रहा है(जांच कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत ही कर अपवंचन की वास्तविक राशि की गणना की जा सकेगी।

संयुक्त टीम द्वारा लगातार विभिन्न फर्मो एवं संबंधित व्यक्तियों से पूछतांछ की जा रही है। प्रारंभिक स्तर पर कई संदिग्ध लेन।देन एवं फर्जी बिलिंग किये जाने संबंधी दस्तावेज प्राप्त हुए जिनका परीक्षण किया जा रहा है। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई रीवा अरविन्द सिंह ठाकुर, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी दीप खरे के नेतृत्व में निरीक्षक हरीश त्रिपाठी, उप निरीक्षक पवन राज, उप निरीक्षक अभिषेक पाण्डेय, प्रधान आरक्षक सत्य नारायण मिश्रा, घनश्याम त्रिपाठी, संतोष मिश्रा, आरक्षक अमित दुबे एवं सायबर सेल मुख्यालय भोपाल से प्रधान आरक्षक सुनील कुमार मिश्रा, राकेश यादव एवं जीएसटी के अधिकारीगण द्वारा की जा रही है।

जन समस्याओं के निराकरण के लिए तत्परता से सहयोग करेंगे-विधायक रोहाणी

भू-माफियाओं के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करें- कलेक्टर

जबलपुर/ प्रतिनिधि। विधायक श्री अशोक रोहाणी ने आज कलेक्ट्रेट में विधानसभा केंट अंतर्गत विभिन्न समस्याओं को लेकर बैठक की। बैठक में कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना, अपर कलेक्टर सुश्री मिशा सिंह, एसडीएम रांझी श्रीमती मोनिका बाघमारे, तहसीलदार सुश्री जानकी उइके सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान विधायक श्री रोहाणी ने कहा कि उनके विधानसभा में डुमना, तिलहरी क्षेत्र में भू माफियों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर भू-खंड विक्रय की जा रही है, अत~ इस पर सख्ती से रोक लगाई जाये। भू-माफियों द्वारा गरीब व्यक्तियों को हटाया जा रहा है और उनकी यह कार्य प्रणाली बर्दाश्त नहीं होगी। इसी प्रकार तिलहरी में भी भू-माफियाओं की लगातार शिकायतें मिल रही है। उन्होंने राजस्व अधिकारियों से कहा कि इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जाये। विधायक श्री रोहाणी ने कहा कि वर्षा से क्षतिग्रस्त मकान व प्रभावित लोगों को आरबीसी 6(4) के तहत जो राहत मिलती है उसकी सूची उन्हें प्रदाय की जाये। मोहनिया में औद्योगिक गतिविधियों के लिए भू-खंड के संबंध में भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण व लोगों के आवेदन लेने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाये। साथ ही गोकलपुर तालाब के आस-पास निवारत लोगों के संबंध में भी सकारात्मक चर्चा की गई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे जन समस्याओं के निराकरण के लिए तत्परता से सहयोग करेंगे।

कलेक्टर श्री सक्सेना ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में सुनिश्चित किया जाये और जहां कहीं भी अवांछित गतिविधियां होती हैं, उन पर प्रभावी कार्यवाही की जाये। उन्होंने भू-माफियाओं के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये।

पश्चिम मध्य रेलवे से गुजरेगी पूजा स्पेशल ट्रेनें

जबलपुर/ प्रतिनिधि। रेलवे द्वारा आगामी त्यौहारों पर यात्रियों की सुविधा हेतु एवं उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से विभिन्न गंतव्यों के लिए विशेष किराये पर पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। यह स्पेशल ट्रेनें पश्चिम मध्य रेलवे के स्टेशनों से होकर गुजरेगी। इन स्पेशल ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः-

1) रक्सौल-वटवा-रक्सौल साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन (16-16 फेरे)

गाड़ी संख्या 05561रक्सौल-वटवा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन दिनांक 16.09.2025 से 30.12.2025 तक प्रत्येक मंगलवार को 11:20 बजे रक्सौल स्टेशन से प्रस्थान करेगी और अगले दिन रात 20:00 बजे वटवा स्टेशन पहुँचेगी। (16 सेवाएं)

गाड़ी संख्या 05562 वटवा-रक्सौल साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन दिनांक 17.09.2025 से 31.12.2025 तक प्रत्येक बुधवार को रात्रि 23:30 बजे वटवा स्टेशन से प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन सायं 16:00 बजे रक्सौल स्टेशन पहुंचेगी। (16 सेवाएं)

ठहरावः सीतामढ़ी, मुज़फ़्फ़रपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, दानापुर, आरा, बक्सर, पं. दीनदयाल उपाधयाय, प्रयागराज छिवकी, मानिकपुर, सतना, कटनी मुड़वारा, दमोह, सागर, बीना, संत हिरदाराम नगर, मक्सी, उज्जैन, नागदा, दाहोद, गोधरा, छायापुरी एवं आनंद।

संरचनाः एक वातानुकूलित 3 टियर, 9 शयनयान श्रेणी, 8 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 द्वितीय श्रेणी-सह-गार्ड की ब्रेक वैन।

2) दानापुर-हडपसर-दानापुर स्पेशल ट्रेन (10-10 फेरे)

गाड़ी संख्या 03213 दानापुर-हडपस स्पेशल ट्रेन दिनांक 27.09.2025 से 29.11.2025 तक प्रत्येक शनिवार को दानापुर से रात 21:00 बजे प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन भोर में 04:15 बजे हडपसर पहुंचेगी। (10 सेवाएं)

गाड़ी संख्या 03214 हडपसर-दानापुर स्पेशल ट्रेन दिनांक 29.09.2025 से 01.12.2025 तक प्रत्येक सोमवार को हडपसर से सुबह 06:45 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन रात 19:45 बजे दानापुर पहुंचेगी। (10 सेवाएं)

ठहरावः आरा, बक्सर, पं. दीनदयाल उपाधयाय, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज छिवकी, सतना, मैहर, कटनी, मदनमहल, इटारसी, खण्डवा, भुसावल, मनमाड, कोपरगाँव, बेलापुर, अहमदनगर और दौड़ कॉर्ड लाइन।

संरचनाः 8 वातानुकूलित इकोनॉमी-3 टियर, 8 शयनयान श्रेणी, 4 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 1 जनरेटरकार, 1 द्वितीय श्रेणी-सह-गार्ड की ब्रेक वैन।

3) गोमती नगर-एलटीटी-गोमती नगर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन (06-06 फेरे)

गाड़ी संख्या 05325 गोमती नगर-एलटीटी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन दिनांक 27.09.2025 से 01.11.2025 तक प्रत्येक शनिवार को मध्यरात्रि 00:15 बजे गोमती नगर से प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 05:50 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी (06 सेवाएं)

गाड़ी संख्या 05326 एलटीटी-गोमती नगर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन दिनांक 28.09.2025 से 02.11.2025 तक प्रत्येक रविवार को सुबह 07:55 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस से प्रस्थान करेगी और दूसरे दिन सुबह 10:45 बजे गोमती नगर पहुंचेगी (06 सेवाएं)

ठहरावः बादशाहनगर, लखनऊ सिटी, ऐशबाग, कानपुर सेन्ट्रल, उरई, वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी, बीना, रानी कमलापति, इटारसी, भुसावल, नासिक रोड, इगतपुरी एवं कल्याण।

संरचनाः एक वातानुकूलित-2 टियर, 3 वातानुकूलित -3 टियर, 8 शयनयान श्रेणी, 6 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 द्वितीय श्रेणी-सह-गार्ड ब्रेक वैन।

4) गोमती नगर-महबूबनगर-गोमती नगर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन (06-06 फेरे) गाड़ी संख्या 05314 गोमती नगर-महबूबनगर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन दिनांक 28.09.2025 से 02.11.2025 तक प्रत्येक रविवार को मध्यरात्रि 00:35 बजे गोमती नगर से प्रस्थान करेगी और अगले दिन रात 19:10 बजे महबूबनगर पहुंचेगी (06 सेवाएं)

गाड़ी संख्या 05313 महबूबनगर-गोमती नगर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन दिनांक 29.09.2025 से 03.11.2025 तक प्रत्येक सोमवार को रात 22:10 बजे महबूबनगर से प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन दोपहर 14:00 बजे गोमती नगर पहुंचेगी (06 सेवाएं)

ठहरावः बाराबंकी, बुढ़वल, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, भटनी, मऊ, औंरिहार, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज छिवकी, मानिकपुर, सतना, कटनी, जबलपुर, बालाघाट, गोंदिया, बल्लारशाह,सिरपुर कागजनगर, बेलमपल्ली, रामागुंडम, काजीपेट, मलकाजगिरी, काचीगुडा, उमदानगर, शादनगर एवं जडचर्ला।

संरचनाः एक वातानुकूलित-2 टियर, 8 वातानुकूलित इकोनॉमी -3 टियर, 7 शयनयान श्रेणी, 4 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 1 जनरेटरकार, 1 द्वितीय श्रेणी-सह-गार्ड ब्रेक वैन। यात्री सुविधा का लाभ लेते हुए स्पेशल ट्रेनों के ठहराव की विस्तृत जानकारी स्टेशन, रेल मदद 139 अथवा ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सकते है।

भारतीय रेल के टिकट कर्मचारी भी लगाएंगे डिजिटल अटेंडेंस

टिकट जाँच कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक साइन-ऑन/ऑफ

इससे यात्रियों के समग्र अनुभव में सुधार होगा

जबलपुर/ प्रतिनिधि। भारतीय रेलवे ने अपने टिकट जाँच कर्मचारियों के लिए एक नई बायोमेट्रिक साइन-ऑन और साइन-ऑफ प्रणाली शुरू की है, जो रेलवे संचालन के आधुनिकीकरण और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 29.08.25 को पूर्व मध्य रेलवे के पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन पर पहली डिजिटल टीटीई लॉबी चालू हो गई है। इस अभिनव प्रणाली को उत्तर रेलवे के बनारस मंडल, पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर मंडल, पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल, मध्य रेलवे के सीएसएमटी, पुणे और सोलापुर स्थित टीटीई लॉबी, पूर्व रेलवे के मालदा मंडल, दक्षिण पश्चिम रेलवे के मैसूर मंडल, पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल, दक्षिण रेलवे के मदुरै, पालघाट, त्रिची और पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा लॉबी में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे ज़ोन ने भी विभिन्न मंडलों में चरणबद्ध तरीके से नई प्रणाली लागू की है। उत्तर रेलवे का जम्मू मंडल जल्द ही इस प्रणाली को लागू करने वाला है।

नई प्रणाली बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को टिकट परीक्षक (टीटीई) लॉबी प्रणाली के साथ एकीकृत करती है, जिससे कर्मचारी आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपकरण का उपयोग करके स्वयं को प्रमाणित कर सकते हैं। यह एक छेड़छाड़-रहित, पारदर्शी और गोपनीयता-अनुपालन उपस्थिति प्रक्रिया सुनिश्चित करती है जो वास्तविक समय में कार्य घंटों और ड्यूटी स्थिति को सटीक रूप से रिकॉर्ड करती है।

बायोमेट्रिक प्रणाली के मुख्य उद्देश्यः

प्रामाणिक उपस्थितिः यह सुनिश्चित करती है कि उपस्थिति रिकॉर्ड सटीक और सत्यापन योग्य हों।

ज़रीयल-टाइम ट्रैकिंगः कर्मचारियों की उपलब्धता और ड्यूटी स्थिति पर रीयल-टाइम डेटा प्रदान करती है, जिससे अधिक कुशल प्रबंधन संभव होता है।

ज़उन्नत निगरानीः कार्य घंटों और लॉबी संचालन की प्रभावी निगरानी प्रदान करती है।

ज़निर्बाध एकीकरणः सुव्यवस्थित कर्मचारी तैनाती के लिए हैंड हेल्ड टर्मिनलों (एचएचटी) और ड्यूटी रोस्टर के साथ एकीकृत।

इस प्रणाली का कार्यान्वयन भारतीय रेलवे की कार्यकुशलता और पारदर्शिता में सुधार के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। बायोमेट्रिक साइन-ऑन/ऑफ प्रणाली न केवल कर्मचारियों की तैनाती को सुव्यवस्थित करेगी, बल्कि टिकट जाँच कर्मचारियों की समग्र कार्यकुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही में भी उल्लेखनीय वृद्धि करेगी, जिससे अंततः सभी यात्रियों के लिए अनुभव बेहतर होगा।

अपनी क्षमता से अधिक भरा बरगी बाँध

9 गेटों से बढ़ाई गई जल निकासी, नर्मदा तटों का जलस्तर बढ़ा

जबलपुर/ प्रतिनिधि। कल रात और आज सुबह तडक़े हुई झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। शहर व आसपास के जिलों में हो रही बारिश का पानी लगातार बरगी बाँध में आ रहा है। जिससे बाँध अपने जल क्षमता से अधिक भर गया है। जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए आज दोपहर बाँध के 9 गेटों से जल निकासी की मात्रा बढ़ा दी गई है। जिससे नर्मदा तटों का जलस्तर भी पाँच से 6 फुट तक बढ़ जाएगा। प्रशासन ने सभी को नर्मदा तटों से दूरी बनाने का आग्रह किया है।

कल रात और आज सुबह तडक़े हुई झमाझम बारिश ने बाँध को लबालब कर दिया। जिससे बाँध अपनी पूर्ण क्षमता से अधिक भर चुका है, पानी को नियंत्रित करने के लिए आज दोपहर 12 बजे से पानी की निकासी 9 गेटों के माध्यम से और बढ़ाई गई, जिससे नर्मदा नदी में 5 से 6 फुट पानी बढऩे का अनुमान है। बरगी बांध प्रबंधन के मुताबिक प्रात~ 08 बजे बांध का जल स्तर 422.85 मीटर आंका गया। वर्तमान में बांध की जल उपयोगी क्षमता 3205.50 एमसीएम (100.80 प्रतिशत) है। वर्तमान में बांध में पानी की आवक 1001 क्यूमेक है। बांध के जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए आज दोपहर 12 बजे जल की निकसी को 200 क्यूमेक से बढ़ाकर 1097 क्यूमेक किया गया। अब 9 जल द्वार 0.78 मीटर औसत ऊचाई पर खुले रहेंगे। जिससे माँ नर्मदा के घाटों पर 5 से 6 फीट पानी की बढोत्तरी होगी। प्रशासन ने आम जनों से माँ नर्मदा के घाटों/तटीय क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने का अनुरोध है।

गर्मी से मिली राहत

सुबह तडक़े हुई एक इंच बारिश से आज गर्मी और उमस से कुछ राहत महसूस की गई। हालांकि दिन चढऩे के साथ ही उमस और गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। लेकिन बारिश की वजह से तापमान को उछाल का मौका नहीं मिला। आसमान में बादल छाए हुए हैं जिनसे बारिश होने की आशंका बनी हुई है।

सीनियर कार्मिक बहुआयामी सोच के साथ दूसरी पीढ़ी को अनुभव बाटें

एम.पी. ट्रांसको में चाय संग चर्चा पर एम.डी. सुनील तिवारी

जबलपुर/ प्रतिनिधि। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एम.पी. ट्रांसको) के मुख्यालय जबलपुर में आयोजित चाय संग चर्चा के अगले चरण में प्रबंध संचालक सुनील तिवारी ने मुख्यालय में कार्यरत कार्यालयीन कार्मिकों से दो सत्रों में संवाद किया। इस अवसर पर कुल 81 कार्मिक उपस्थित रहे।

संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि सीनियर कार्मिकों की जिम्मेदारी है कि वे अपनी बहुआयामी सोच के साथ अपने अनुभव, ज्ञान और विशेषज्ञता नई पीढ़ी के साथ साझा करें, ताकि युवा कार्मिक कंपनी की कार्यप्रणाली को गहराई से समझ सकें। उन्होंने युवा कार्मिकों को संबोधित करते हुए कहा कि सीखने की पहल स्वयं करनी चाहिए और वरिष्ठों से अधिक से अधिक ज्ञान, कौशल और कार्य की बारीकियां आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे वे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बन सकें।

उन्होंने कहा कि कंपनी इस समय संक्रमण काल से गुजर रही है, निकट भविष्य में बड़ी संख्या में वरिष्ठ कार्मिक सेवानिवृत्त होंगे। ऐसे में नई पीढ़ी को दायित्व संभालने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सम्मान उसी को मिलता है जो स्वयं कार्य करता है, और इसके लिए जरूरी है कि समय के अनुरूप खुद को बदलें और प्रो-एक्टिव सोच अपनाएं।

*** प्रशिक्षण और डिजिटल दक्षता पर जोर**

प्रबंध संचालक ने कार्मिकों से ई.आर.पी. सिस्टम में दक्ष बनने का आग्रह किया ताकि वे डिजिटल युग की चुनौतियों का बेहतर सामना कर सकें। उन्होंने बताया कि कंपनी वर्तमान ई.आर.पी. सिस्टम को अपग्रेड कर मोबाइल से इंटीग्रेट करने की दिशा में काम कर रही है, जिससे कार्यप्रवाह और तेज होगा। उन्होंने सभी कार्मिकों से समय के साथ डिजिटल फ्रेंडली बनने, लगातार सीखते रहने और कार्य में निपुणता बढ़ाने की सलाह दी। संवाद के दौरान कार्मिकों ने प्रशिक्षण, स्किल डेवलपमेंट और ई-ऑफिस कार्यशैली सीखने की इच्छा जताई। श्री तिवारी ने इन सुझावों की सराहना की और भरोसा दिलाया कि जल्द ही इन्हें अमल में लाने की कार्यवाही की जाएगी। कार्यक्रम का संयोजन अधीक्षण अभियंता श्री सुनील यादव एवं श्री राजेश शर्मा ने किया।

त्यौहारों की रौनक पर भारी पड़ रही लापरवाही

अंधेरा और आवारा पशु ना बन जाएँ हादसे का कारण

जबलपुर/ प्रतिनिधि। त्यौहारों का मौसम अब अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका है। शहर की गलियों और बाजारों में रौनक लौट आई है। जगह-जगह भीड़-भाड़ का माहौल है। लेकिन इस भीड़ के बीच आवारा पशुओं का तांडव नागरिकों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। खासकर रात के समय स्थिति विकट हो जाती है, जब सडक़ों पर अंधेरा और खुले गड्ढों के बीच आवारा गाय, बैल, सूअर और श्वानों का आतंक देखने को मिलता है।

सडक़ों पर अंधेरा और मौत के ग`

शहर का कोई भी क्षेत्र हो, गड्ढेदार सडक़ों और बंद स्ट्रीट लाइटों ने दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा दिया है। आगाचौक से लेकर बल्देवबाग, चेरीताल, निवाडग़ंज, गंजीपुरा, बड़ा फुहारा और गोलबाजार जैसे मुख्य मार्गो पर हफ्तों से स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। रात के अंधेरे में जहां वाहन चालक खुले गड्ढों का शिकार हो जाते हैं, वहीं आवारा पशु सडक़ों पर बैठकर जानलेवा हादसों को न्यौता देते हैं।

लटकारी का पड़ाव, बल्देवबाग, गढ़ाफाटक, रानीताल, सब्जी मंडी, मालवीय चौक और शंकर घी भंडार जैसे इलाकों में आवारा पशुओं का जमावड़ा आम नजारा है। दिन में ये पशु झुंड बनाकर दुकानों के सामने बैठ जाते हैं, तो रात में सडक़ के बीचों-बीच डेरा जमाकर दुर्घटनाओं को आमंत्रण देते हैं। कई बार सब्जी मंडी में गाय और बैल दुकानों पर मुंह मारने लगते हैं, जिसके बाद व्यापारी उन्हें खदेड़ते हैं और भगदड़ जैसी स्थिति बन जाती है। वहीं रात में सूकर और श्वानों की भिड़ंत राहगीरों के लिए खतरनाक साबित हो रही है।

गणेश चतुर्थी और ईद मीलादुन्नबी चल रहा है, ऐसे समय में आवारा पशुओं का बीच सडक़ पर घूमना या बैठ जाना गंभीर हादसों का कारण बन सकता है। खासतौर पर काले रंग के बैल और सूकर अंधेरे में साफ दिखाई नहीं पड़ते, जिससे दोपहिया और चारपहिया चालकों के लिए खतरा दोगुना हो जाता है।

डेरी मालिकों और नगर निगम की उदासीनता

शहर में प्रतिबंध के बावजूद डेरी मालिक अभी भी अपने पशुओं को खुले में छोड़ देते हैं। रात होते ही ये पशु मुख्य मार्गो पर आ जाते हैं। पहले नगर निगम की 'हांका गैंग' सक्रिय रहती थी और ऐसे पशुओं को पकडक़र कांजी हाउस या गौशाला में छोड़ा जाता था, साथ ही पशुपालकों का चालान किया जाता था। लेकिन अब पशु क्रूरता अधिनियम के नाम पर नगर निगम की कार्यवाही शिथिल हो चुकी है। नतीजतन, नागरिकों की जान खतरे में है और व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है।

जिम्मेदारों पर उठ रहे सवाल

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि समस्या की जानकारी पार्षदों और अफसरों तक बार-बार पहुंचाई जाती है, लेकिन सब केवल एक-दूसरे पर जिम्मेदारी टालने का काम कर रहे हैं। न सफाई व्यवस्था सुधर रही है, न स्ट्रीट लाइटें दुरुस्त हो रही हैं, और न ही आवारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

स्मार्ट मीटर के डेटा ट्रांसफर से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा

विदेशों में भेजा जा रहा उपभोक्ताओं का डाटा

कांग्रेस नेताओं ने स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट पर लगाए गंभीर आरोप

जबलपुर/ प्रतिनिधि। स्मार्ट मीटर ना सिर्फ बिजली बिल का बोझ बढ़ा रहे हैं बल्कि इसकी आड़ में उपभोक्ताओं का डाटा विदेशों में भी भेजा जा रहा है। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। यह कहना है कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा का। जिन्होंने पत्रकारवार्ता में स्मार्ट मीटर की आड़ में चल रही घपलेबाजी और केंद्र और राज्य सरकार पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए इसे न केवल गोपनीयता का उल्लंघन बताया बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया।

श्री शर्मा ने कहा कि अल्फार कंपनी ने मीटर डेटा मैनेजमेंट के तहत उपभोक्ताओं का डेटा यूएई को भेजा है। इस डेटा में उपभोक्ताओं की लोकेशन, बिजली खपत भी शामिल है क्योंकि स्मार्ट मीटर में जीपीएस तकनीक मौजूद है। इसलिए यह डेटा आसानी से विदेशों में भेजा जा रहा है। जिसका गलत तरीके से उपयोग किया जा सकता है।

इंदौर की कंपनी ने जिसे किया आयोग्य उसे दिया गया ठेका

श्री शर्मा ने आरोप लगाया कि अल्फानार को पहले पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर ने अयोग्य करार दे दिया था। लेकिन इसके बाद भी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर ने उसी कंपनी को यह ठेका दे दिया।

अल्फानार कंपनी में पाकिस्तानी कर्मचारी

श्री शर्मा ने यह भी आरोप लगाया है कि यूएई और अल्फानार कंपनी के बोर्ड में पाकिस्तानी नागरिक कार्यरत हैं। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा और ज्यादा खतरे में है। उन्होने आरोप लगाया कि यह दोहरा मापदंड प्रशासन की पारदर्शिता और ईमानदारी पर गहरा प्रश्नचिह्न खड़ा करता है और तो और अल्फनार कंपनी को गुणवत्ता विहीन कार्य एवं समय पर कार्य पूर्ण न करने के कारण 3 टर्मिनेशन नोटिस भी जारी किए गए, मगर अधिकारियों की मिलीभगत के चलते कंपनी को टर्मिनेट नहीं किया गया।

सर्टिफिकेट का उल्लंघन

श्री शर्मा ने कहा कि विदेशी कंपनी को भारत में काम करने के लिए डीपीआईआईटी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है, खासकर यदि वह पड़ोसी देशों में भी काम कर रही हो। अल्फानार चीन और बांग्लादेश में भी सोलर प्रोजेक्ट चला रही है, इसके बावजूद उसे मध्य प्रदेश में ठेका दिया गया। जो डीपीआईआईटी सर्टिफिकेट का उलंघन है।

कम दर पर दिए गए टेंडर

सौरभ शर्मा ने आरोप लगाया कि अल्फानार ने जानबूझकर सबसे कम दर पर टेंडर हासिल किया, जबकि इतनी कम दर पर 10 साल तक प्रोजेक्ट चलाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि असल उद्देश्य जनता का डेटा इकठ्ठा करना और सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करना है।

ये रहे मौजूद

पत्रकारवार्ता में विधायक लखन घनघोरिया, पूर्व विधायक एवं ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष संजय यादव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता आलोक मिश्रा, सम्मति सैनी, दिनेश यादव सहित अन्य कांग्रेसजन मौजूद रहे।

स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को दिन के टैरिफ में 20 प्रतिशत की छूट

अगस्त में 2 करोड़ 41 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को उनके मासिक विद्युत बिल में मिली 3 करोड 30 लाख की रियायत

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को दिन के टैरिफ में 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए यह सभी छूट अथवा प्रोत्साहन की गणना सरकारी सब्सिडी (यदि कोई हो) को छोड़कर की जा रही है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटरिंग पहल के अंतर्गत, माह अगस्त-2025 में कुल दो लाख 41 हजार 592 उपभोक्ताओं को उनके मासिक विद्युत बिल में टाइम ऑफ छूट का लाभ दिया गया, जिसकी कुल राशि 3 करोड़ 30 लाख रूपए है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनकी खपत के आधार पर ये छूट दी गई है।

स्मार्ट मीटर के फायदे ऊर्जा की खपत को ट्रैक करने और ऊर्जा की बचत करने में मदद करता है।

बिजली की खपत को सटीक रूप से मापता है, जिससे बिल में कोई गलती नहीं होती।

ऐप के जरिए मोबाइल पर रियल-टाइम डेटा देखकर ऊर्जा की खपत को नियंत्रित कर सकते हैं।

ऊर्जा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे ऊर्जा की खपत को बेहतर बना सकते हैं।

ऊर्जा की खपत को ऑनलाइन ट्रैक करने और नियंत्रित करने की सुविधा मिलती है। ऊर्जा की खपत को कम करने से पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव कम होता है। ऊर्जा की खपत को नियंत्रित करने और ऊर्जा की बचत करने में मदद कर सकता है।

एमवाय अस्पताल में चूहों ने कुतरे नवजात बच्चों के हाथ, 1 की मौत– नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट सहित पांच कर्मचारियों पर गिरी कार्रवाई की गाज

जितेन्द्र सालवी की खास रिपोर्ट
ब्यूरो चीफ इंदौर

प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवायएच में चूहों द्वारा दो नवजात बच्चों के हाथ कुतरने के बाद इनमें से एक नवजात की मंगलवार को मौत हो गई। हालांकि अस्पताल प्रबंधन इससे इंकार कर रहा है। वहीं मामले में एमजीएम कॉलेज के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया द्वारा 5 कर्मचारियों को जिम्मेदार मानते हुए उन पर कार्रवाई की गई। इनमें 2 स्टाफ नर्स, 2 नर्सिंग इंचार्ज और 1 नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट शामिल है।

जानकारी के मुताबिक डीन ने नर्सिंग ऑफिसर आकांक्षा बेंजामिन व श्वेता चौहान को सस्पेंड कर दिया। वहीं सहायक प्रभारी नर्सिंग ऑफिसर कलावती बलावी, प्रवीणा सिंह प्रभारी नर्सिंग ऑफिसर पीआईसीयू और डॉ. मनोज जोशी प्रभारी व प्राध्यापक पीडियाट्रिक्स सर्जरी विभाग को शोकाज नोटिस दिया गया है।

डीन ने ऐजाईल कंपनी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉ. अशोक यादव को तुरंत पेस्ट कंट्रोल कराने के निर्देश दिए। साथ ही एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी बनाई, जिसमें डॉ. एसबी बंसल, डॉ. शशिशंकर शर्मा, डॉ. अरविंद शुक्ला, डॉ. निर्भय मेहता एवं डॉ. बसंत निगवाल के साथ नर्सिंग ऑफिसर सिस्टर दयावती दयाल रहेंगे। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।

लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश द्वारा एमवाय अस्पताल के एनआईसीयू वार्ड में भर्ती बच्चों के हाथ चूहों द्वारा कुतरने के मामले में जांच और स्पष्टीकरण भेजने का लिखित नोटिस जारी कर दिया गया है। अस्पताल में मरीजों के लिए चूहे बड़ी मुसीबत बन हुए हैं।

ये कभी मरीज के हाथ-पैर कुतर देते हैं तो कभी शव को कुतर डालते हैं। अस्पताल में हजारों की तादाद में चूहे होने की बात सामने आ रही है। जिम्मेदार भले ही नियमित फ्यूमिगेशन (चूहे मारने) के लाख दावे करें, लेकिन यह परेशानी दूर नहीं हो रही।

वर्षों पहले शहर के जिला अस्पताल के पोस्टमॉर्टम रूम में कृष्णकांत पांचाल नामक व्यक्ति का शव चूहों ने बुरी तरह कुतर दिया था। इसके पहले भी यहां ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। पिछले साल यूनिक अस्पताल में बुजुर्ग नवीनचंद्र जैन का शव चूहों ने कुतर डाला था।

इसके पूर्व एमवायएच में नवजात के पैर कुतरे जाने की घटना हुई थी। कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल में भी आसपास खुला क्षेत्र होने से चूहों की भरमार है।

...तब एमवायएच में चला था कायाकल्प अभियान

ऐसा नहीं है कि चूहों की भरमार एकाएक हो गई। बीते सालों में भी ऐसी ही स्थिति थी। 1990 के दशक में सूरत में चूहों से प्लेग नामक बीमारी व्यापक रूप से फैली थी। इसके मद्देनजर तत्कालीन कलेक्टर सुधीरंजन मोहंती ने शहर में एमवाय अस्पताल के लिए बड़ा कायाकल्प अभियान चलाया था, जिसके तहत एमवायएच में भर्ती मरीजों को अन्य सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कराकर सात मंजिला एमवाय अस्पताल व आसपास के रहवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर फ्युमिगेशन कराकर अस्पताल को पूरी तरह सील कर दिया गया था।

करीब एक पखवाड़े बाद जब अस्पताल की सफाई की तो हजारों की संख्या में चूहे मृत मिले थे, जिन्हें ड्रमों में भरकर खात्मा किया गया था। इसके कुछ साल बाद फिर इनकी संख्या बढ़ने लगी। हमेशा अस्पताल प्रशासन द्वारा नियमित फ्यूमिगेशन का दावा किया जाता रहा, लेकिन इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चूहों की भरमार सिर्फ अस्पतालों में ही नहीं, बल्कि इनके आसपास के शासकीय आवासों, होटलों, गोदामों, सीमावर्ती क्षेत्र के खेतों आदि में भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक जोड़ी चूहे से साल में 8 से 10 बार बच्चे होते हैं। एक बार में 6 से 12 बच्चे देने की इनकी क्षमता होती है। यानी साल में एक जोड़ी चूहे से 1200 तक बच्चे पैदा होते हैं। फिर इन्हीं 1200 से आगे इनकी संख्या बढ़ती जाती है। इससे शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में चूहों की भरमार से इनकी बढ़ती संख्या का अंदाजा लगाया जा सकता है।

बीमारी के वाहक भी होते हैं चूहे

दरअसल, चूहों के शरीर पर छोटे फ्ली (पिस्सू) मौजूद रहते हैं। इनके मूवेबल होने से ये प्लेग के बैक्टीरिया को अपने साथ इधर-उधर ले जाते हैं। वैसे यह स्थिति तब ही बनती है, जब कहीं प्लेग फैला हो और उस स्थान से बैक्टीरिया चूहों के संपर्क में आया हो। ऐसे में चूहे वाहक हो जाते हैं, लेकिन जहां प्लेग के बैक्टीरिया नहीं हैं, वहां चूहों से खतरा नहीं होता। प्लेग बीमारी जानवरों से संबंधित न होकर मनुष्य को होती है।।

सरपंच एवं सचिव को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 07 वर्ष 07 वर्ष का कठोर कारावास

उद्घोष समय ब्यूरो -कैलाश लाहौरी

सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा ने अभियुक्तगण(1) बालाराम भलावी तत्कालिन सरपंच ग्राम पंचायत बंधा को धारा 409 भादवि में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रूपये का अर्थदंड तथा धारा 13(1)सी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रूपये के अर्थदंड (2) तत्कालिन सचिव वीरेन्द्र सिंह राजपूत ग्राम पंचायत मकरझिर को धारा 409 भादवि में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रूपये(व्यतीकरम में एक वर्ष का सश्रम कारावास) का अर्थदंड तथा धारा 13(1)सी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रूपये (व्यतीकरम में एक वर्ष का सश्रम कारावास) के अर्थदंड से दिनांक 02.09.2025 को दंडित किया है। मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार सैयाम ने बताया कि दिनांक 29.04.16 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लखनादौन अरूण त्रिपाठी के द्वारा थाना प्रभारी धूमा को पत्र कमाक 238/पंचा.शिका.जांच/ज.पं./2016 दिनाक 28.04.16 को लेख कर दिया गया कि ग्राम पंचायत बंधा एवं मकरझिर की जांच पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं निधि का गबन करने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है कि वित्तिय वर्ष 2013-2014 एवं 2014-2015 में तत्कालिन संरपंच बालाराम भलावी एवं सचिव हुकुम सिंह डहेरिया दोनों आरोपीगण ग्राम पंचायत बंधा के द्वारा 11 लाख 39 हजार 98 रु0 की राशि जो निर्माण कार्य के लिये बैको से आहरित कर कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया व दोनो ने मिलकर शासकीय राशि का गबन कर धोखाधडि कर लाभ अर्जित किया है इसी प्रकार वित्तिय वर्ष 2014-2015 तत्कालिन संरपंच बालाराम भलावी एवं तत्कालिन सचिव विरेन्द्र राजपूत दोनो आरोपीगण निवासी ग्राम पंचायत बंधा द्वारा 1 लाख 69 हजार 500 रूपयें कि शासकीय राशि जो निर्माण कार्य के लिए बैक से आहरित कर कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया व दोनो ने मिलकर शासकीय राशि का गबन कर धोखाधडी कर लाभ अर्जित किया है इसी प्रकार वित्तिय वर्ष 2012-2013 एवं 2013-2014 में तत्कालिन संरपंच प्रेमा बाई वरकडे ग्राम पंचायत मकरझिर एवं तत्कालिन सचिव विरेन्द्र राजपूत ग्राम पंचायत मकरझिर द्वारा 20 लाख 84 हजार 77रूपये कि शासकीय राशि जो निर्माण कार्य के लिये बैक से आहरित कर कोई निर्माण नहीं कराया गया व दोनो ने मिलकर शासकीय राशि का गबन कर धोखाधडि कर लाभ अर्जित किया है इस प्रकार आरोपीगणों ने ग्राम पंचायतो में पदों पर रहकर शासन द्वारा लागू बी.आर.जी.एफ. एवं पंचपरमेश्वर योजना की राशि जो निर्माण कार्य के लिये खाते मे जमा होती थी जो संरपंच सचिव के द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से आहरण का षडयंत्र पूर्वक शासन से धोखाधडि कर उपरोक्त शासकीय राशि का अपने उपयोग के लिये लाभ अर्जित कर भ्रष्टाचार कर ग्राम पंचायत के दस्तावेजों को खुर्द-बुर्द किया है जो आरोपीगण का कृत्य धारा 409,420,467, 468,471, 120बी भादवि एवं धारा 13 (ग) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का पाये जाने से इनके विरूद्ध उपरोक्त धारा के अन्तर्गत अपराध पंजीबंध कर लक्ष्मण कुमार वर्मा प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी की न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नवल किशोर सिंह ने न्यायालय में पैरवी करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत किये जिससे सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने अभियुक्तगण को काठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया

सम्पत्तिकर, समेकितकर, जलकर बकाया राशि को लेकर नगर पालिका अधिकारी इसहाक खान हुए सख्त, बकायादारों के काटे गए नल कनेक्शन,

संभाग ब्यूरो दुर्गा गुप्ता

नगर पालिका मनेंद्रगढ़ के सभी वार्डो में बकायादारों को लेकर हुए सख्त वार्ड क्रमांक 5 में अवैध नल कनेक्शन और सम्पत्तिकर, समेकितकर, बकाया जलकर की वसूली को लेकर मुख्य नगरपालिका अधिकारी इसहाक खान के आदेशानुसार सख्त कदम उठाते हुए वार्ड क्रमांक 5 में सम्पत्तिकर, समेकितकर, जलकर बकाया दारों का नल बंद करने की कार्यवाही की गई । जिसमे कई उपभोक्ता ऐसे हैं जो सम्पत्तिकर, समेकितकर,जलकर का कई वर्षो से भुगतान नहीं कर रहे हैं। जिसको लेकर नपा अधिकारी ने सख्त आदेश देते हुए बकाया दारों का नल कनेक्शन बंद करने की कार्यवाही करने के आदेश दिए जिससे तहत नगर पालिका की टीम ने बड़े बकायादारों के घर-घर जाकर जलकर बकाया सम्पत्तिकर, समेकितकर, की बकाया राशि वसूली की और जिनका ज्यादा बकाया है अब लोगों का नल कनेक्शन काटे गए। नगर पालिका के सीएमओ इसहाक खान ने बताया कि जलकर सम्पत्तिकर, समेकितकर की राशि वसूलने और जिनका बकाया है जमा ही नही कर रहे जिससे कर न जमा होने के कारणों से शहर का विकाश कार्य भी नही हो पा रहा है और वार्डो में अवैध नल की भरमार है जिससे नल कनेक्शन को काटने के लिए नगर पालिका द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। अब तक करीब एक दर्जन बकायादारों के नल कनेक्शन काटे जा चुके हैं।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी इसहाक खान ने शहरवासियों से आग्रह किया है कि वे समय पर जलकर, सम्पत्तिकर, समेकितकर, की राशि जमा करें ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके। बुधवार को नगर के वार्ड क्रमांक 05 के विभिन्न हिस्सों में नगर पालिका की टीम द्वारा कार्रवाई की गई और यह अभियान बकायादारों पर आगे भी जारी रहेगा।

इंदौर संभाग में संभागायुक्त के निर्देशन में पराली प्रबंधन का नया तंत्र होगा विकसित

पुलिस, पंचायत, होमगार्ड और वन विभाग की संयुक्त रूपरेखा तैयार कर जिला नियंत्रण कक्ष किया जाएगा गठित

खेतों में नरवाई (पराली) जलाने की घटनाओं में कमी लाने का विकल्प नये तंत्र में होगा शामिल

इंदौर, 03 सितम्बर 2025

संभागायुक्त श्री दीपक सिंह ने नरवाई (पराली) जलाने की क्रियाओं में पूरी तरह रोकथाम के लिए इंदौर संभाग में नया तंत्र विकसित करने के लिए एक कार्ययोजना तैयार करने की शुरूआत की है। इस नये तंत्र में एनडीआरएफ, पुलिस और वन विभाग को भी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित की जाएगी। बुधवार को आयोजित हुई एक बैठक में संभागायुक्त श्री सिंह ने डिविजन कमाडेंट होमगार्ड श्री बी.पी. वर्मा को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए है। संभागायुक्त श्री सिंह ने कहा कि नरवाई न जलाने के लिए जागरूकता के कार्यक्रम के अलावा ऐसी तकनीक विकसित करनी होगी जिससे पराली जलाने की क्रियाओं को पूरी तरह रोका जा सकें। यह कार्य सिर्फ कृषि विभाग से संभव नहीं है। अब इसमें एनडीआरएफ के अमले के साथ ही वन विभाग की आग पर काबू पाने की तरकिबों का भी उपयोग इसके लिए किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस विभाग और पंचायत विभाग भी इस कार्य में एक महत्वपूर्ण कढ़ी साबित हो सकता है। इन सब विभाग को मिलकर दायित्व सौंपे जाएंगे, इसमें जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष का गठन कर संचार की व्यवस्थित रूपरेखा तैयार होगी।

वन विभाग और एनडीआरएफ के अमले को प्रशिक्षित कर कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा

संभागायुक्त श्री सिंह ने पराली प्रबंधन के संबंध में संयुक्त संचालक कृषि श्री आलोक मीणा से कहा कि इंदौर में हार्वेस्टर का अत्यधिक इस्तेमाल होने के साथ ही अन्य कारणों से बड़ी संख्या में नरवाई/पराली शेष बचती है। इसके लिए नये व महत्वपूर्ण विभागों को जोड़ते हुए प्रशिक्षण दिया जाए। इसके पश्चात उस अमले का क्षेत्र में उपयोग करने के लिए कंट्रोल रूम से जोड़ा जाए, जिससे उनकी सेवा का लाभ सीधे तौर पर प्राप्त किया जा सकें। इस संबंध में एक समिति बनायी जाएगी जो जिलों में हार्वेस्टर से फसलों की कटाई, हैप्पी व सुपर सीड़र की उपलब्धता के साथ ही गत वर्षो में प्राप्त हुई सेटेलाईट इमेज की समीक्षा कर तैयारी की जाएगी। नरवाई प्रबंधन के लिए संभागायुक्त श्री सिंह द्वारा कलेक्टर्स को भी इस संबंध में विशेष रूप से कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा जाएगा। बैठक में उपायुक्त राजस्व श्रीमती सपना लोवंशी, संयुक्त आयुक्त विकास श्री डी.एस. रणदा, होमगार्ड श्री बी.पी. वर्मा, संयुक्त संचालक कृषि श्री आलोक मीणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए।।

सिवनी राजस्व अधिकारियों द्वारा किया जा रहा स्कूलों, आंगनवाडी केन्द्रों, उचित मूल्य दुकानों सहित अन्य शासकीय संस्थानों का निरीक्षण

जिला ब्यूरो कैलाश लाहोरी

सिवनी / कलेक्टर ु संस्कृति जैन के निर्देशानुसार गैर न्यायालयीन राजस्व अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र की कानून व्यवस्थाओं के साथ-साथ शासकीय स्कूलों, आंगनवाडी केन्द्रों, उचित मूल्य दुकानों, उर्वरक वितरण केन्द्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है।

अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति, स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण आहार एवं मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता, उर्वरक तथा उचित मूल्य दुकानों के निरीक्षण में भौतिक स्टॉक का सत्यापन करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवेदन के आधार पर लापरवाही पाये जाने पर संबंधित कर्मचारियों पर कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है।

भोपाल में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों के विरूद्ध होगी दंडात्मक कार्रवाई

पुलिस आयुक्त ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

भोपाल प्रतिनिधि- उद्घोष समय

पुलिस आयुक्त भोपाल श्री हरिनारायणचारी मिश्र ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों के विरूद्ध एवं भोपाल में जन सुरक्षा तथा लोक परिशांति बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हाईक, एस.एम.एस. टेलीग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया साइट आदि का दुरुपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिए किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा।

कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म पर किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, वीडियो, ऑडियो इत्यादि, जिससे धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाएं भड़क सकती हैं या सांप्रदायिक विद्वेष पैदा हो सकता है, उन्हें प्रसारित नहीं करेगा। सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट, जिसमें धार्मिक, सांप्रदायिक एवं जातिगत भावना भड़कती हो, को कमेंट, लाइक, शेयर या फॉरवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके।

कोई भी व्यक्ति सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगों अथवा समुदाय के मध्य घृणा, वैमनस्यता पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों से नहीं करेगा और न ही इसके लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड़-मरोड़कर, भड़काकर उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश, जिससे लोग या समुदाय विशेष, हिंसा या गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हो जाएं, को प्रसारित नहीं करेगा और न ही लाइक, शेयर या फारवर्ड करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा, जिसमें किसी व्यक्ति, संगठन, समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने और उनसे कोई गैरकानूनी गतिविधियां करने के लिए आव्हान किया गया हो, जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो। भोपाल शहर की सीमा में किसी भी साइबर कैफे के स्वामी संचालक द्वारा किसी भी अनजान व्यक्ति, जिसका परिचय किसी विश्वसनीय प्रमाण-पत्र, जैसे परिचय पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पासपोर्ट फोटोयुक्त, पैन कार्ड या ऐसे ही अन्य साक्ष्य से प्रमाणित न हो, को साइबर कैफे का उपयोग नहीं करने दिया जायेगा। साइबर कैफे के स्वामी/संचालक द्वारा समस्त आगंतुकों/प्रयोगकर्ताओं का रजिस्टर रखा जाना आवश्यक है, जिसमें उनका हस्तलिखित नाम, पता, दूरभाष नम्बर तथा परिचय का प्रमाण पत्र अंकित हो, इसके बिना सायबर कैफे का प्रयोग वर्जित होगा। साइबर कैफे में बिना कैमरा लगाए जिसमें प्रत्येक आंगतुक / प्रयोगकर्ताओं की फोटो खींची जा सके तथा उसका अभिलेख सुरक्षित रखा जाना आवश्यक होगा।

सिवनी जनसुनवाई में दिव्यांग बालक को मिली तत्काल सहायता

सिवनी / जिला मुख्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान कुरई जनपद के ग्राम सिल्लोर से आए 11 वर्षीय दिव्यांग बालक सत्यम सनोडिया को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई गई। सत्यम जन्म से ही सेरेब्रल पाल्सी नामक गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिसके कारण उसके चलनेङ्कफिरने में काफी कठिनाई होती है। जनसुनवाई के दौरान जब सत्यम के पिता रितेश सनोडिया ने कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन के समक्ष बच्चे की स्थिति और आवश्यकता रखी, तो कलेक्टर ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तत्काल निर्देश दिए। उनके निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा उसी समय बच्चे के लिए व्हीलचेयर उपलब्ध कराई गई। इससे बच्चे को दैनिक जीवन में सुविधा मिल सकेगी।

सिवनी जिला स्तरीय जनसुनवाई में प्राप्त हुए 156 आवेदन

सिवनी जिला ब्यूरो कैलाश लाहोरी। प्रत्येक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित होने वाली जिलास्तरीय जनसुनवाई कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जनसुनवाई में सीईओ जिला पंचायत श्री नवजीवन विजय सहित सभी विभागों के प्रमुख उपस्थित रहे। इस दौरान कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन द्वारा आमजन से प्राप्त विभिन्न शिकायतों एवं आवेदनों की गंभीरता से सुनवाई की गई तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए गए। कलेक्टर सुश्री जैन ने कहा कि प्रत्येक प्रकरण का समाधान समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाए ताकि आम नागरिकों को शीघ्र राहत मिल सके।

जिलास्तरीय जनसुनवाई में तहसील सिवनी अंतर्गत ग्राम इंदावाडी निवासी सोनम बोरकर द्वारा बालक का आधार कार्ड बनाये जाने विषयक, ग्राम समनापुर सिवनी निवासी रामचरण पिता विजन कतिया द्वारा मकान गिरने से मुआवजा राशि दिलाये जाने विषयक, ग्राम कमकासुर सिवनी निवासी बिस्तोबाई द्वारा कृषि कार्य के लिए रास्ता दिलाये जाने विषयक, ग्राम बांकी सिवनी निवासी गीता बाई द्वारा पट्टायुक्त मकान में त्रुटिवश अन्य का नाम सुधारे जाने विषयक, तहसील बरघाट अंतर्गत ग्राम घिसी निवासी भागरता गुर्देकर द्वारा राशन दिलाये जाने एवं राशन पर्ची में पुनर्नाम जोडे जाने विषयक, तहसील छपारा अंतर्गत ग्राम पायली खुर्द निवासी खेलनसिंह गौली द्वारा नक्शा दुरूस्त किये जाने विषयक, ग्राम ढांना बांकी सिवनी निवासी राकेश उइके द्वारा आवेदक की भूमि पर अनावेदकों द्वारा कब्जा एवं मुरम डालकर उसे सलमत किये जाने विषयक, ग्राम ढुटेरा केवलारी निवासी धमेन्द्र कुमार नागोत्रा द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त दिलाये जाने विषयक, ग्राम पहाडिया टोला लखनादौन निवासी दुर्गेश कुमार सरयाम एवं अन्य द्वारा शमशान घाट निर्माण कराये जाने विषयक, ग्राम धूमा लखनादौन निवासी गोपाल परते द्वारा शासकीय विद्यालय के पास मांस मछली की दुकानों का परिवर्तित किये जाने विषयक, ग्राम ककरतला लखनादौन निवासी गीता इनवाती द्वारा पति की मृत्यु उपरांत सहायता राशि दिलाये जाने विषयक सहित कुल 156 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र निराकरण करने के निर्देश कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन ने संबंधित विभागाधिकारियों को दिए।

विधायक दिनेश राय मुनमुन ने किया गया नवीन हाईस्कूल भवन का भूमिपूजन

हर क्षेत्र को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित मोहन सरकारः दिनेश राय मुनमुन

सिवनी-जिला ब्यूरो कैलाश लाहोरी दिन- मंगलवार, दिनांक 02/09/2025 को सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश राय मुनमुन जी के करकमलों से शासकीय हाई स्कूल नवीन भवन निर्माण कार्य कार्य का भूमिपूजन किया गया। आज दोपहर 02~00 बजे से सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम झील पिपरिया शासकीय हाई स्कूल के नवीन भवन निर्माण कार्य का भूमिपूजन विधायक दिनेश राय मुनमुन जी के करकमलों से विधि-विधान से मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। इसके पूर्व ग्राम आगमन पर ग्रामीणों द्वारा कलश लेकर ढोल-बाजे के साथ विधायक दिनेश राय मुनमुन जी की भव्य आगवानी कर फूलमालाओं से आत्मीय स्वागत किया गया। मंचीय कार्यक्रम के दौरान विधायक दिनेश राय मुनमुन ने अपने संबोधन मे ग्राम मे नवीन शाला भवन निर्माण की बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र से हर व्यक्ति को जोड़ने तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव जी की सरकार पूरी तत्परता के साथ अपने प्रयासों में जुटी हुई है। जिससे हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ा जाए तथा हर क्षेत्र को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़कर समाज को एक नया आयाम प्रदान किया जाए। विधायक दिनेश राय मुनमुन जी ने आगे कहा कि नवीन शाला भवन मे छात्र-छात्राओं को सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ-साथ खेलकूद की सुविधा भी मिलेंगी।

इसके साथ ही आपने गुणवत्तापूर्ण एवं निश्चित समयावधि में शाला भवन निर्माण कार्य करने की बात कही। इस अवसर पर श्री रामजी चंद्रवंशी जी अध्यक्ष भाजपा मंडल करकोटी, श्रीमती किरण भलावी अध्यक्ष जनपद पंचायत, टेकराम बरकडे , मोहन पटेल सरपंच, होरेलाल बट्टी उपसरपंच, सुकरचंद धुर्वे , बसंत कटरे , श्याम मिलन पांडे , सुनील बघेल पूर्व मंडल अध्यक्ष, हरिशंकर साहू सरपंच, योगेश उईके सरपंच बींझावाडा, रामकिशोर यादव , आलोक राज , नन्दू यादव , पूरन भलावी , सहतर चंद्रवंशी , सुन्नर परते, आकाश तेकाम, कैलाश यादव , सतीश यादव , संजू गिरी , बाबूलाल , सुकलू उईके, श्रीमती मोरवती धुर्वे , कपूरचंद मरकाम , राजकुमार चंद्रवंशी , सुरेश उईके , नबाव खान , मनोहर , रामप्रसाद बट्टी जी, लक्ष्मीबाई जी पंच, सुन्नर परते जी, केशलाल उईके जी, रमनलाल यादव जी, एहसान अली जी, संजय डहेरिया जी सरपंच पौंडी, दिलीप धुर्वे जी, राकेश उईके जी, छात्र- छात्राओं, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ग्रामीण जनों की गरिमामय उपस्थिति रही। इसके अलावा विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन ने प्रातः छिन्दवाड़ा चौक स्थित गणेश मंदिर में भगवान श्री गणेश जी के दर्शन व पूजन अर्चन कर सभी के लिए मंगलकामनाये किया। इसके उपरांत बारापत्थर स्थित अपने कार्यालय मे प्रातः 11~00 बजे से जन सुनवाई किया। तथा नागरिकों की समस्याओं का निराकरण किये जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया।

सेवा निवृत्त हुए 84 कर्मचारियों को किया गया पी.पी.ओ. वितरण

जिला ब्यूरो कैलाश लाहोरी

सिवनी / कलेक्टर सु संस्कृति जैन द्वारा जिले के विभिन्न विभागों के सेवानिवृत्त हुए 84 शासकीय सेवकों को पेंशन पेमेन्ट आर्डर (पी.पी.ओ.) का वितरण किया गया। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत नवजीवन विजय, अपर कलेक्टर सीएल चनाप, जिला पेंशन अधिकारी, सहायक पेंशन अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति रही। कलेक्टर सु जैन द्वारा पीपीओ वितरण कार्यक्रम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के शासकीय सेवा के दौरान किये गये कार्यो की सराहना करते हुए सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके सुखद एवं उज्जवल भविष्य की कामना की।

इन्हें किया गया पीपीओ का वितरण-

श्याम सिंह पटेल ङ्क कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बरघाट, रामकृष्ण डहेरया ङ्क कार्यालय अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त लखनादौन, तुलसीराम चन्द्रवंशी ङ्क कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी, राम मनोहर सोनीङ्क कार्यालय अधीक्षण यंत्री जल संसाधन खंड सिवनी, चन्द्रभानु झारिया ङ्क कार्यालय प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय बरघाट, मती माया वानखेडे कार्यालय विकासखंड अधिकारी छपारा, मती अंजना पाटिल जनजातीय कार्यविभाग कुरई, मती कौशल्या चौरसिया जनजातीय कार्यविभाग कुरई, मती आयश बेगम विकासखंड शिक्षा अधिकारी बरघाट, देवेन्द्र कुमार तिवारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी सिवनी, मती रामदुलारी कुर्वेती विकासखंड शिक्षाअधिकारी केवलारी, अजय सिंह सिसोदिया कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संक्र 1 सिवनी, लालमणी पटले कार्यालय सहायक कृषि अभियांत्रिकीय उपसंभाग सिवनी, सुहागलाल पन्नामी कार्यालय विकासखंड अधिकारी लखनादौन, मती कृष्णा सरयाम कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी छपारा, सुमत लाल उइके कार्यालय यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सिवनी, पुरूषोत्तम दास पंत कार्यालय विकासखंड अधिकारी लखनादौन, शरण दास मैंकंजी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सिवनी, शोभा बाई लाहोरिया कार्यालय डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेंट होमगार्ड सिवनी, मती मंजुलता वास्तव कार्याल विकासखंड शिक्षा अधिकारी सिवनी, मती अनिता राय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी, मती चंद्रिका प्रसाद जंघेला कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी केवलारी, मुन्नालाल बघेल कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी सिवनी, चोखेलाल झारिया कार्यालय उपसंचालक पशु एवं डेयरी विभाग सिवनी,इसी क्रम में श्यामाराव डहरवाल पेंच नेशनल पार्क सिवनी, अनिल कुमार वास्तव विकाखंड अधिकारी धनौरा, मोहन सिंह बघेल कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी सिवनी, मती राधिका डोंगरे कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी, विनोद कुमार त्रिवेदी कुरई, चरण लाल अययाम धनौरा, मती फलोरी मेरी वॉर्स बरघाट, ब्रज मोहन मुदगल घंसौर, मोहम्मद सरदार खान केवलारी, मेगलेश्वर कर्वेती केवलारी, महेश दत्त नायक सिवनी, मती सुशिला कटरे सिवनी, मती सावित्री सनोडिया सिवनी, युद्धिष्ठिर नाग जनपद पंचायत बरघाट, लखनलाल परते बरघाट, मती सोमती टेकाम धनौरा, संतोष कुमार पटेल, पेच टाईगर रिजर्व सिवनी , अर्जुन सिंह ठाकुर लखनादौन, परसादी लाल अहिरवार लखनादौन, सुरेश कुमार उइके सिवनी, फुल्लीलाल गोल्हानी लखनादौन, मती किशवर जहां खान केवलारी, प्रकाशचंद जैन नहर संभाग केवलारी, हेमराज प्रसाद पटेल जिला जेल सिवनी, विजय कुमार दुबे लखनादौन, मती शशि बाला साहू महिला बाल विकास सिवनी, विरेंद्र कुमार बोरकर सिवनी, जगन्नाथ प्रसाद उपाध्याय सिवनी, भागचंद सोनवाने सिवनी, कपूरचंद लांजेवार बरघाट, नारायण सिंहराय सिवनी, अरविंद कुमार दीक्षित उच्चतर विद्यालय कुरई, शिवसिंह बघेल सिवनी, प्रदीप कुमार चौबे कुरई, जाकिर उल्ला कुरैशी बरघाट, मती साधना तिवारी धनौरा, गनीराम पटले बरघाट, मती कृष्णा नागेश घंसौर, अशोक कुमार सोनी- कार्यालय विकासखंड अधिकारी धनौरा एवं शेष कुमार राय- कार्यालय विकासखंड अधिकारी धनौरा को पीपीओ का वितरण किया गया।

बड़े बकायादारों पर नगर निगम की कार्यवाही तेज

50 हजार के ऊपर बकाया होने पर जारी किया धारा 173 एवं 174 का नोटिस

करदाताओं से समय पर सम्पत्तिकर, जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार की राशि जमा करने निगमायुक्त ने की अपील

जबलपुर। नगर निगम द्वारा राजस्व वसूली की कार्यवाही तेज कर दी है। निगम द्वारा अपने सभी संभागों से सम्पत्तिकर वसूली हेतु धारा 173 एवं 174 के अंतर्गत नोटिस बकायादारों को जारी किये जा चुके हैं। अपर आयुक्त राजस्व श्रीमती अंजू सिंह द्वारा लगातार राजस्व विभाग की समीक्षा की जा रही है। आज अपर आयुक्त राजस्व श्रीमती सिंह द्वारा संभाग क्रमांक 2 एवं 6 के अंतर्गत राजस्व विभाग की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में पाया गया कि 50 हजार रूपये से अधिक की राशि बकाया होने पर भी करदाताओं द्वारा राशि जमा नहीं की जा रही है, जिन्हें धारा 173 एवं 174 के अंतर्गत नोटिस जारी करने राजस्व अमले को निर्देश दिये।

उन्होंने बताया कि संभाग क्रमांक 2 के अंतर्गत 21 बकायादारों जिनमें खटवानी सेल्स एण्ड सर्विसेस प्रा.लि. पर बकाया राशि 5 लाख 56 हजार 9 सौ 43 रूपये, खरीददार कमला रानी/सी.पी. केसरवानी पर बकाया राशि 2 लाख 28 हजार 728, काबिज मोतीलाल बर्मन पर बकाया राशि 1 लाख 87 हजार 5 सौ 91, रमेश कुमार सोंधिया, श्री बाबूलाला सोंधिया पर बकाया राशि 1 लाख 86 हजार 8 सौ 32, अजय कुमार शर्मा पिता राजेन्द्र कुमार शर्मा पर बकाया राशि 1 लाख 7 हजार 70, अमर प्रीतम सिंह पिता सरदार हरचरण सिंह पर बकाया राशि 1 लाख 64 हजार 4 सौ 10, वर्मा सेल्स कम्पनी पेट्रोल पंप पर बकाया राशि 1 लाख 79 हजार 3 सौ 51, विनोद विश्वकर्मा पिता रामप्रसाद विश्वकर्मा पर बकाया राशि 1 लाख 69 हजार 3 सौ 6, श्रीमती वेदरानी खन्ना पर बकाया राशि 1 लाख 18 हजार 9 सौ 86, सरदार मोहन सिंह बग्गा स्व. सरदार प्रेम सिंह, शाहनी कौर/सरदार मोहन, तरनदीप सिंह पर बकाया राशि 6 लाख 31 हजार 45, सतनाम सिंह हरजित सिंह, सतपाल सिंह मदन/आतम सिंह पर बकाया राशि 1 लाख 14 हजार 2 सौ 4, सैयद माजिद अली एवं सैयद वाहिद अली पर बकाया राशि 1 लाख 98 हजार 6 सौ 23, श्रीमती आशा सिंह पति राजेश सिंह पर बकाया राशि 1 लाख 98 हजार 6 सौ 23, दलजीत सिंह बग्गा पिता मोहन सिंह बग्गा पर बकाया राशि 1 लाख 81 हजार 8 सौ 44 एवं 4 लाख 65 हजार 1 सौ 24, श्रीमती अश्विनी सिंहग पति श्री राम आशीष सिंग पर बमाया राशि 3 लाख 42 हजार 42, सुदामा बबेले पर 2 लाख 2 हजार 6 सौ 9, इशिका सिंह वैद्य शालिनी सिंह बैद्य पर बकाया राशि 3 लाख 2 हजार 96, लक्ष्मी राय/बी.डी. राय पर बकाया राशि 1 लाख 63 हजार 8 सौ 14, वीरेन्द्र कुमार यादव पर बकाया राशि 1 लाख 52 हजार 8 सौ 14, रोज मेरी विनियम प्रा.लि. डॉ. श्री ओमप्रकाश अग्रवाल पिता राधेश्याम अग्रवाल राजेश मछानी पर बकाया राशि 5 लाख 34 हजार 96 के नाम शामिल है।

इसी प्रकार संभाग क्रमांक 6 के अंतर्गत 70 बकायादारों जिनमें रहमत उल्ला बकाया राशि 1 लाख 66 हजार 5 सौ, हामित दुसैन बकाया राशि 1 लाख 66 हजार 5 सौ, कन्हैया लाल पर बकाया राशि 1 लाख 79 हजार 3 सौ, चन्दा बाई पर बकाया राशि 3 लाख 84 हजार 8 सौ, राजाराम पुरूषोत्तम पर बकाया राशि 3 लाख 43 हजार 2 सौ, इकामन बी पर बकाया राशि 1 लाख 62 हजार 9 सौ, गंगा बाई पर बकाया राशि 5 लाख 61 हजार 2 सौ, मदन लाल पर बकाया राशि 5 लाख 1 हजार 7 सौ, काविज अनुपम आनंद एवं हर्ष देव आनंद पिता स्व. बी. एल. आनंद एवं अन्य पर बकाया राशि 2 लाख 92 हजार 2 सौ, काविज सतपाल लांबा/चमनलाल लांबा एवं अन्य पर बकाया राशि 1 लाख 23 हजार 2 सौ, गौरब डयोढ़िया पर बकाया राशि 1 लाख 53 हजार 9 सौ, चीना बाई केशरवानी स्व. गोविंद प्रसाद पर बकाया राशि 1 लाख 15 हजार 9 सौ, रूपेश जैन पर बकाया राशि 1 लाख 18 हजार 5 सौ, राजकुमार जैन पिता दौलत लाल जैन पर बकाया राशि 2 लाख 72 हजार 1 सौ, संजय कुमार जैन पिता मुलायम चंद जैन पर बकाया राशि 2 लाख 65 हजार, रमजान खान पर बकाया राशि 9 लाख 95 हजार 7 सौ, मोहम्मद

मोहसिन पर बकाया राशि 1 लाख 48 हजार 7 सौ, अमन सिविल इंजिनियरिंग पर बकाया राशि 1 लाख 48 हजार 3 सौ, शुभा मिश्रा पर बकाया राशि 1 लाख 83 हजार 4 सौ, बक्श अली पर बकाया राशि 63 हजार 1 सौ, हाजी शेख यासीन पर बकाया राशि 77 हजार 8 सौ, कमल रानी पर बकाया राशि 58 हजार 8 सौ, मो. अख्तर 71 हजार 2 सौ, महावीर ट्रस्ट पर बकाया राशि 82 हजार 4 सौ, अ.सतार पर बकाया राशि 67 हजार, मन्नू धोबी पर बकाया राशि 61 हजार, बाबू सलाम गुलाम 79 हजार, दालचंद पर बकाया राशि 55 हजार, मो. ईशाक पर बकाया राशि 73 हजार, मो. शाहिद, मो. वाजिद पर बकाया राशि54 हजार, बुरहानुद्दीन मुईद्दीन पर बकाया राशि 57 हजार, गर्वमेंट पुलिस क्वार्टर पर बकाया राशि 90 हजार, मु.स. मरियम पर बकाया राशि63 हजार, जमना प्रसाद तिवारी पर बकाया राशि 90 हजार, प्रेमनारायण अग्रवाल पर बकाया राशि 55 हजार, बसंत चौरसिया पर बकाया राशि 65 हजार, सरदार सतनाम सिंह पर बकाया राशि 73 हजार, आनंत इन्वेस्टमेंट द्वारा शैलेश जैन पिता सुभाष चंद जैन पर बकाया राशि 74 हजार, सीता बाई/संतोष कुमार यादव पर बकाया राशि 54 हजार, अरविंद अग्रवाल पर बकाया राशि 85 हजार, सरदार गजेन्द्र सिंह बांगा पर बकाया राशि 95 हजार, अनिल यादव स्व. शिवपाल यादव पर बकाया राशि 66 हजार, सुनील कुमार संगीता पिता स्व. आर एस पाण्डे पर बकाया राशि 62 हजार, गीता अग्रवाल पर बकाया राशि 54 हजार, शुभ मोटर प्राईवेट लि. डायरेक्टर राविन खटवानी पर बकाया राशि 73 हजार, आशा अग्रवाल पति हरिमोहन अग्रवाल पर बकाया राशि 61 हजार, जितेन्द्र पचौरी, सर्वेस पचौरी, राजेश सुरेश पिता हर प्रसाद जी भारत पेट्रोलियम लि. पचौरी आटोमोबाइल पर बकाया राशि 85 हजार, शशि चक्रवर्ती पति रमेश चक्रवर्ती धमेन्द्र चक्रवर्ती पर बकाया राशि 95 हजार, महेन्द्र जैन पिता ज्ञानचंद पर बकाया राशि 94 हजार, नीलकंठ दीक्षित पिता पहाड़ सिंह पर बकाया राशि 83 हजार, सुनीता जैन पति सुरेश चंद जैन पर बकाया राशि 83 हजार, रमेश पटैल पर बकाया राशि 80 हजार, कमला देवी असाटी पति रामगोपाल असाटी पर बकाया राशि 78 हजार, रामलिमन भारत प्रसाद पर बकाया राशि 76 हजार, कल्लू प्रसाद पटैल पिता स्व. दरबारी लाल पटैल पर बकाया राशि 73 हजार, नरसिंह दास रैकवार एवं तुलसीदास रैकवार दोनो के पिता गेंदालाल रैकवार पर बकाया राशि 62 हजार, सुधीर कुमार मिश्रा पर बकाया राशि 59 हजार, किशन सिंह परिहार पर बकाया राशि 56 हजार, फूला बाई साहू पति दाचंद साहू पर बकाया राशि 55 हजार, किरन कछवाहा पति स्व. दुर्गा प्रसाद कछवाहा पर बकाया राशि 50 हजार, पुरूषोत्तम लाल साहू पर बकाया राशि 58 हजार, आर आर विश्वकर्मा एवं दीपक विश्वकर्मा पर बकाया राशि 60 हजार, हीरा लाल चौधरी पर बकाया राशि 54 हजार, अनीला दुबे पर बकाया राशि 59 हजार, मुईनुद्दीन खान, मोहम्मद सईद पर बकाया राशि 64 हजार, मनीष श्रीवास्तव पर बकाया राशि 63 हजार, स्नेहिल पटैल पर बकाया राशि 66 हजार, राजकुमार सुरेन्द्र कुमार पाठक पर बकाया राशि 58 हजार, शकुन साहू पर बकाया राशि 59 हजार एवं नरबदा बाई पर बकाया राशि 66 हजार के नाम शामिल हैं। इनसे कुल राशि रूपये 1 करोड़ 41 लाख 86 हजार की वसूली की जाना है। उन्होंने 13 दिसम्बर 2025 दिन शनिवार को आयोजित लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में पहुँचकर बकाया करों की राशि जमा कर छूट का लाभ लेने की अपील की है। उन्होंने करदाताओं से यह भी अपील की है कि समय पर सम्पत्तिकर, जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार की राशि जमा कर निगम की अप्रिय कार्यवाही से बचें।

केन्ट विधानसभा अंतर्गत 1 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का भूमिपूजन सम्पन्न

जबलपुर। केन्ट विधानसभा अंतर्गत विभिन्न वार्डों में सांसद मद से लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले विकास कार्यों का भूमिपूजन सांसद जबलपुर आशीष दुब एवं केन्ट क्षेत्र के विधायक अशोक ईश्वरदास रोहाणी के द्वारा संपन्न किया गया। इस अवसर पर सांसद आशीष दुबे ने केन्ट क्षेत्र के विधायक अशोक ईश्वरदास रोहाणी के आग्रह पर कहा कि केन्ट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकाश कार्यों हेतु धन की कमी नहीं आने देंगे। इस अवसर भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर, नगर निगम अध्यक्ष रिकुंज बिज, एम.आई.सी. सदस्य दामोदर सोनी, मंडल अध्यक्ष पुष्पराज सिंह सेंगर, गुड्डा केवट, आशीष राव, सौरभ गोयल, पार्षद निशांत झरिया, अनुराग

दहिया, संतोषी ठाकुर, सावित्री शाह, बाबा श्रीवास्तव, रीना ऋषि यादव, श्याम कनोजिया, कृष्णदास चौधरी, दशरथ पटेल, विभा उपाध्याय, प्रभा शंकर कुशवाहा, दीपक लाला, हेमराज सराठे, सुधीर वेन, बंटी सौरभ अहिरवार, गुल्लू दुबे, संगीता पासी, संतोष वैरागी, रूपा बाबरिया, सुधीर शर्मा आदि उपस्थित रहे।

जबलपुर में सीबीआई की दबिश, ऑर्डनेंस फैक्ट्री डीजीएम दीपक लांबा से लंबी पूछताछ

नागपुर का है मामला

जबलपुर/नागपुर। सीबीआई की टीम ने बुधवार को जबलपुर ऑर्डनेंस फैक्टरी में कार्रवाई करने पहुंची। यहां से वो डीजीएम दीपक लांबा को पूछताछ करने के लिए ले गई। नागपुर से ऑर्डनेंस फैक्ट्री में रहते हुए पद के दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आया था। पूर्व में सीबीआई डीजीएम के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर चुकी है।

सीबीआई की टीम ने बुधवार को जबलपुर ऑर्डनेंस फैक्ट्री में कार्रवाई करने पहुंची। यहां से वो डीजीएम दीपक लांबा को पूछताछ करने के लिए ले गई। नागपुर से ऑर्डनेंस फैक्ट्री में रहते हुए पद के दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आया था। पूर्व में सीबीआई डीजीएम के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर चुकी है।

यह शिकायत सामने आई

इस मामले सीबीआई ने जबलपुर, नागपुर सहित चार जगहों पर छापा मारा, जिसमें आरोपित के कार्यालय और घर शामिल थे। जहां से कई आपत्तिजनक दस्तावेज और सामान बरामद किए हैं। सीबीआई को प्राप्त शिकायत में आरोप है कि लांबा ने ओएफएजे, नागपुर में उप महाप्रबंधक के रूप में कार्य करते हुए एक प्रोप्राइटरशिप फर्म स्थापित की।

इसके बाद उन्होंने टेंडर की शर्तों को अपने हिसाब से बदलकर अपनी ही कंपनी को टेंडर दिलवा दिया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने टेंडर हासिल करने के लिए एक जाली अनुभव प्रमाण पत्र जमा किया था।

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 सितम्बर को

अधिक से अधिक करदाताओं को अधिभार में मिलेगा छूट का लाभ

छूट का लाभ लेने करदाताओं से महापौर, राजस्व प्रभारी एवं निगमायुक्त ने की अपील

जबलपुर/ प्रतिनिधि। शासन के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन नगर निगम द्वारा दिनांक 13 सितम्बर 2025 दिन शनिवार को मुख्यालय सहित सभी 16 संभागीय कार्यालयों में आयोजित की गयी है। इस संबंध में राजस्व विभाग के अपर आयुक्त श्रीमती अंजू सिंह ने बताया कि लोक अदालत में वित्तीय वर्ष 2024-25 तक बकाया राशि पर अधिभार में करदाताओं को छूट मिलेगी। आयोजित नेशनल लोक अदालत में शहर के सम्माननीय करदाताओं को अधिक से अधिक छूट का लाभ मिले इसके लिए निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव ने संबंधित अधिकारियों को समक्ष में बुलाकर निर्देश दिये हैं। महापौर जगत बहादुर सिंह ''अन्नू'', एम.आई.सी. सदस्य एवं राजस्व प्रभारी डॉ. सुभाष तिवारी एवं निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव ने सभी करदाताओं से भी अपील की है कि बकाया करों की राशि में छूट का लाभ नेशनल लोक अदालत के माध्यम से दी जा रही है, इसलिए आप सभी करदाताओं से अपील है, कि अधिक से अधिक संख्या में नेशनल लोक अदालत में पहुँचकर छूट का लाभ लें।

अपर आयुक्त राजस्व श्रीमती अंजू सिंह ने बताया कि लोक अदालत में सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट, 50 हजार रूपये से अधिक तथा 1 लाख रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट, 1 लाख रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी।

उन्होंने बताया कि जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट, राशि 10 हजार रूपये से अधिक तथा 50 हजार रूपये से कम बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट, राशि 50 हजार रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी, उन्होंने बताया कि छूट उपरांत राशि अधिकतम् दो किश्तों में जमा कराई जायेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराई जायेगी, शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा कराना अनिवार्य होगा।

शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन पूर्ण समर्पण तथा समन्वय के साथ कर्मयोगी बनकर करें–कलेक्टर

जबलपुर/ प्रतिनिधि। कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में आज होटल डिलाईट में आदि कर्मयोगी अभियान अंतर्गत तीन दिवसीय जिला प्रोसेस लैब कार्यशाला का आयोजन किया गया। अभियान के अंतर्गत संपूर्ण भारत में चार स्तरीय रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस प्रोग्राम प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य स्तर पर स्टेट प्रोसेस लैब, जिला स्तर पर जिला प्रोसेस लैब, विकासखंड स्तर पर ब्लॉक प्रोसेस लैब,ग्राम स्तर पर विलेज/ क्लस्टर प्रोसेस लैब का आयोजन किया जाना निर्धारित किया गया है। जबलपुर जिले में 2, 3 और 4 सितंबर को तीन दिवसीय जिला प्रोसेस लैब कार्यशाला का आयोजन होटल डिलाइट पैलेडियम जबलपुर में किया गया है। जिला प्रोसेस लैब का शुभारंभ कलेक्टर श्री सक्सेना, सीईओ जिला पंचायत श्री अभिषेक गहलोत, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री सी के दुबे द्वारा दीप प्रज्जवलन कर कार्यक्रम का

शुभारंभ किया। इस प्रोसेस लैब कार्यक्रम में विकासखंड स्तर के अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कलेक्टर श्री सक्सेना द्वारा प्रोसेस लैब में उपस्थित मास्टर ट्रेनर को पूर्ण समर्पण तथा समन्वय के साथ शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन कर्मयोगी बनकर किए जाने का आव्हान किया गया है। प्रशिक्षण प्रक्रिया लैब में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के विकासखंड स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, प्रोसेस लैब में जिन उद्देश्यों को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई है, उनमें सकारात्मकता और जिम्मेदारी पर चिंतन, सामूहिक सीखने के लिए सुरक्षित और पवित्र वातावरण निर्माण, आपसी परिचय व मूल्यों की साझेदारी, विभाग की समस्याओं पर चर्चा व समाधान की दिशा में पहल, गांव की समस्याएं व सरकारी अधिकारियों की भूमिका को समझना, सहयोग-समन्वय-टीमवर्क का अभ्यास, परस्पर निर्भरता और समन्वय को समझना, विभिन्न विभागों के बीच तालमेल और सहयोग, शासन की भूमिका समझना, ग्राम दृष्टि निर्माण पर विचार, सामूहिक प्रतिबद्धता विकसित करना, प्रतिभागियों को प्रशिक्षण कौशल व कार्य प्रणालियां सिखाना, ग्राम मानचित्र विजन प्लान एवं क्रियान्वयन के लिए अभ्यास कराना है।

इस प्रोसेस लैब को संपन्न करने के लिए जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को भोपाल में प्रशिक्षण दिया गया। प्रोसेस लैब से तैयार कर्मयोगी जनजाति विकास और परिवर्तन के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को सशक्त करेंगे और जनजातीय समुदाय को अंतिम छोर तक सेवा प्रदान कर विकसित भारत के निर्माण में सहभागी बनेंगे।

जिलों में उर्वरक वितरण में अव्यवस्था के लिए कलेक्टर होगें उत्तरदायी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

जिला प्रशासन, उर्वरक उपलब्धता और वितरण के संबंध में किसान संगठनों से निरंतर सम्पर्क और संवाद बनाए रखें

भोपाल/जबलपुर/ प्रतिनिधि। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जिलों में उर्वरक वितरण के संबंध में जिला प्रशासन आवश्यक व्यवस्था बनाए। उपलब्ध उर्वरक की उचित वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से निरंतर संवाद और संपर्क में रहे। उर्वरक वितरण की व्यवस्था में किसान संगठन के प्रतिनिधियों को भी जोड़ा जाए। जिलों में यदि उर्वरक वितरण को लेकर अव्यवस्था होती है तो उसके लिए जिला कलेक्टर उत्तरदायी होंगे। राज्य सरकार हर स्थिति में किसानों के साथ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों और जिलों में उर्वरक वितरण की स्थिति की बुधवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन से समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना सहित अधिकारी उपस्थित थे। सभी जिले के कलेक्टर एवं संबंधित अधिकारी वर्चुअली जुड़े।

किसानों को जिले में उपलब्ध उर्वरक की वास्तविक स्थिति से निरंतर करावाये अवगत

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिलों में उर्वरक उपलब्धता की सघन समीक्षा की जाए। साथ ही जिले में उपलब्ध उर्वरक के स्टॉक की जानकारी जनप्रतिनिधियों से भी साझा करें, इससे किसानों को जिले में उर्वरक उपलब्धता की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने में मदद मिलेगी। जिला प्रशासन डबल लॉक, पैक्स और निजी विक्रय केंद्रों का आकस्मिक सत्यापन और उनकी मॉनिटरिंग अनिवार्य रूप से करें। अतिरिक्त विक्रय केन्द्र की आवश्यकता होने पर उनका संचालन तत्काल आरंभ किया जाए। कृषि, सहकारी बैंक, विपणन संघ के अधिकारी निरंतर सम्पर्क में रहें।

उर्वरक से संबंधित अवैध गतिविधियों के लिए हुईं 53 एफ.आई.आर और 88 लायसेंस किए निरस्त

बैठक में खरीफ 2025 के लिए यूरिया, डी.ए.पी, एन.पी.के, एस.एस.पी, एम.ओ.पी तथा डी.ए.पी + एन.पी.के की उपलब्धता, ट्रांजिट की स्थिति की जानकारी प्रस्तुत की गई। साथ ही नेनो एवं जैविक उर्वरक वितरण कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बताया गया कि उर्वरक की कालाबाजारी, अवैध भंडारण, अवैध परिवहन और नकली उर्वरक आदि से संबंधित प्रकरणों पर कार्यवाही करते हुए 53 एफ.आई.आर दर्ज की गई और 88 लायसेंस निरस्ती, 102 लायसेंस निलंबन सहित 406 विक्रय प्रतिबंधित की कार्यवाही की गई।

उर्वरक की बेहतर वितरण व्यवस्था में हुए नवाचारों का करें अनुसरण

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उर्वरक वितरण व्यवस्था के संबंध में धार, दमोह, जबलपुर और रीवा जिले के कलेक्टरों से चर्चा की। दमोह कलेक्टर ने बताया कि किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से सतत् सम्पर्क और संवाद सुनिश्चित करते हुए वितरण व्यवस्था में उनका सहयोग लिया जा रहा है। साथ ही टोकन वितरण और उर्वरक वितरण को अलग-अलग किया गया है। टोकन तहसील कार्यालय से बांटे जा रहे हैं और वितरण विक्रय केन्द्रों से किया जा रहा है। जबलपुर कलेक्टर ने बताया कि किसानों के लिए टोकन वितरण की व्यवस्था फोन कॉल द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। उर्वरक वितरण केन्द्रों पर डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं। बोर्ड न पर टोकन नंबर प्रदर्शित कर उर्वरक वितरण किया जा रहा है। डिस्प्ले बोर्ड पर जिले में उपलब्ध उर्वरकों की मात्रा भी प्रदर्शित की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अन्य जिलों को भी इस प्रकार के नवाचार अपनाने के निर्देश दिए।

बाढ़ और अतिवृष्टि की स्थिति में सजग और सक्रिय रहे पुलिस प्रशासन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में जिन-जिन क्षेत्रों में भी अतिवृष्टि और बाढ़ से फसलों को क्षति हुई है, वहां राहत के लिए तत्काल कार्रवाई आरंभ की जाए। साथ ही जनहानि और पशु हानि की स्थिति में 24 घंटे में राहत उपलबध कराई जाए। बाढ़ के दौरान अस्थाई कैम्प व्यवस्था, राशन वितरण, भोजन वितरण आदि की त्वरित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सामग्री सभी संभावित स्थानों पर उपलब्ध हो। आगामी दिनों में भी भारी वर्षा की संभावना है। सभी जिलों में पुलिस प्रशासन सक्रिय और सजग रहते हुए पुल-पुलिया में बैरिकेटिंग और बाढ़ की स्थि?ति में पुल क्रास न करने की चेतावनी की व्यवस्था जैसी सभी आवश्यक सावधानियां सुनिश्चित करें।

प्रदेश में दर्ज की गई औसत से 21 प्रतिशत अधिक वर्षा

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 1 जून से 2 सितम्बर तक 971.5 एमएम अर्थात् 38.24 इंच वर्षा दर्ज की गई है, जो औसत से 21 प्रतिशत अधिक है। प्रदेश के 21 जिलों में भिण्ड, छतरपुर, श्योपुर, ग्वालियर, नीमच, मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर, अलीराजपुर, सिंगरौली, राजगढ़, मण्डला, सीधी, टीकमगढ़, गुना, नरसिंहपुर, दतिया, रतलाम, उमरिया, रायसेन और सिवनी में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक वर्षा गुना, मण्डला, श्योपुर, रायसेन और अशोकनगर में दर्ज हुई। प्रदेश के प्रमुख बांधों में जलभराव की स्थित की जानकारी भी प्रस्तुत की गई।

प्रभावित 17,500 कृषकों के लिए 20 करोड़ रूपए से अधिक की राहत राशि स्वीकृत

बैठक में बताया गया कि बाढ़ और अतिवृष्टि में कुल 394 जनहानि हुई और 5 हजार से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए। बाढ़ से 1814 पशुहानि भी दर्ज की गई। शिवपुरी, बुरहानपुर, दमोह, अशोकनगर, धार, छतरपुर, रायसेन, उमरिया, बड़वानी, मंडला और कटनी जिलों का कुल 12 हजार हेक्टेयर रकबा अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित हुआ है। प्रभावित 17 हजार 500 कृषकों के लिए 20 करोड़ रूपए से अधिक की राहत राशि स्वीकृत की गई है।

स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक अंकित शर्मा, संपादक शीलू शर्मा द्वारा जवाहर नगर गाली नं. 10 सतना से प्रकाशित तथा अंकित शर्मा द्वारा कोरल ऑफसेट सतना द्वारा मुद्रीत करवाकर प्रकाशित।
समस्त न्याय क्षेत्र सतना होगा। Mail id : udghoshsamay@gmail.com Mob. 7987290705